Thursday, 25 February, 1965

PAR 340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session

सत्यमेव जयते

Preservation 27-5-92
Fumigated On 26.12.83
Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी म अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2602 (ai) LS—A

विषय-सूची

अंक 7, 25 फरवरी, 1965/6 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
143	एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उद्योग	543—46
144	दिल्ली में बाढ़	546—48
145	राष्ट्रीय योजना परिषद्	549—52
146	राजस्थान नहर परियोजना	552–53
147	कृषि उत्पादन को दुगना करने के लिये अल्पकालीन योजना	554—57
148	शरावती विद्युत् परियोजना	557—59
149	आवास बोर्ड	559—63
150	कलकत्ता में सोने का गुप्त व्यापार	563–64
151	सरकारी उपक्रमों के लिये गैर-सरकारी पूंजी	564—66

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
152	भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से धन भेजा जाना	566
153	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	567
154	दिल्ली बृहत् योजना	567–68
155	पूंजी जारी करना	568–69
156	महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	569
157	परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति	569–70
158	बिजली की कमी	570
159	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास	570–71
160	चौथी योजना	571–72
161	गैर-योजना व्यय	572
162	समवायों द्वारा आयकर	572–73
163	औषधि अधिनियम	573

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 7—Thursday, February 25, 1965/Phalguna 6, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
143	Industries in Asian and African Countries	543—46
144	Floods in Delhi	546—48
145	National Planning Council	549—52
146	Rajasthan Canal Project	552–53
147	Short Term Plan to double Farm Output	554—57
148	Sharavathi Power Project	557—59
149	Housing Boards	559—63
150	Clandestine Gold Market in Calcutta	563—64
151	Private Capital for Public Undertakings	564—66

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Question Nos.*		
152	Remittances from Abroad by Indian Nationals	566
153	Ceiling on Urban Property	567
154	Delhi Master Plan	567—68
155	Capital Issues	568—69
156	Mahalanobis Committee Report	569
157	Committee on Transport Policy and Coordination	569—70
158	Power Shortage	570
159	Housing For Industrial Workers	570—71
160	Fourth Plan	571—72
161	Non-Plan Expenditure	572
162	Income-Tax payable by companies	572—73
163	Drugs Act	573

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
164	बारूद बनाना	573-74
165	काले धन की सूचना देने वाले लोग .	574
166	काश्मीर में सलल परियोजना . . .	574-75
168	क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिड . . .	575
169	पूर्व-निर्मित मकान . . .	575-76

अतारांकित
प्रश्न संख्या

333	कर की बकाया राशि	576-77
334	राजस्थान में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग वालों के लिये आवास योजनायें	577
335	मकान बनाने के लिये ऋण	577-78
336	जीवन बीमा निगम का मकान बनाने के लिये ऋण .	578
337	पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार . . .	578-79
338	ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग . . .	579-580
339	नजफ़गढ़ झील, दिल्ली . .	580
340	कोसी परियोजना	580
341	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा योजना .	580-581
342	ज्वारभाटीय तरंगों से विद्युत् शक्ति . . .	581
343	यूनिट ट्रस्ट योजना . . .	581-82
344	दिल्ली के मेहतरों के लिये मकान . . .	582
345	नगरों का दर्जा बढ़ाना . . .	582
346	मद्रास में पानी का संभरण . .	582-83
347	छापों द्वारा करों की वसूली . . .	583
348	राज सम्पति निदेशालय में शिकायत एकक . .	583
349	बड़े नगरों में पानी की कमी . . .	584
350	खेसरी दाल खाने से पक्षाघात . . .	584-85
351	गन्दी बस्तियों को हटाना	585
352	अस्वीकृत मनिआर्डर के सम्बन्ध में जांच . .	585-86
353	सोने के व्यौपारियों को लाइसैंस	586

Starred Queistions Nos.	*Subject*	PAGES
164	Manufacture of Gun Powder	573—74
165	Informers about Black Money .	574
166	Salal Project, Kashmir . . .	574—75
168	Regional Power Grids . . .	575
169	Prefabricated Houses	575—76

Unstarred Questions Nos.		
333	Tax Arrears	576—77
334	Low and Middle Income Group Housing Schemes in Rajasthan	577
335	House Building Loans	577—78
336	LIC House Building Loan	578
337	Smuggling on Eastern Coast	578—79
338	Cottage Industries in Rural Area . .	579—80
339	Najafgarh Lake, Delhi. . .	580
340	Kosi Project	580
341	Medical Scheme for L.I.C. Employees	580—81
342	Electric Power from Tidal Waves . .	581
343	Unit Trust Scheme .	581—82
344	Houses for Delhi Sweepers	582
345	Upgrading of Cities	582
346	Water Supply in Madras .	582—83
347	Realisation of Taxes by Raids . .	583
348	Complaints Cell in Directorate of Estates. .	583
349	Shortage of Water in Big Cities	584
350	Paralysis by eating Khesari Dal .	584—85
351	Slum Clearance	585
352	Enquiry into a dishonoured Cheque	585—86
353	Licences for Gold Dealers	586

अतारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
354	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	586
355	कृष्णा-गोदावरी जल विवाद	587
356	शहरी सामुदायिक विकास खंड	587–88
357	दिल्ली में निर्माण लागत	588
358	सिंचाई सुविधायुक्त भूमि	588–89
359	सामान्य बीमा उद्योग के लिये आचार संहिता	589
360	दिल्ली के अस्पतालों की रक्त सम्बन्धी आवश्यकतायें	590
361	विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन	590
362	अफीम की तस्करी	591
363	राज्यों को अनुदान	591
364	स्टाक एक्सचेंज	591–92
365	रूसी विद्युत् जनित्र	592
366	दुर्गापुर में कांग्रेस दल का अधिवेशन	592–93
367	ठेकेदारों का काली सूची में रखा जाना	593
368	औद्योगिक आवास	593
369	अस्पतालों के संबंध में समिति	594
370	रामागुण्डम बिजलीघर	594
371	गैर-सरकारी इमारतों का अधिग्रहण	594–95
372	पलाना कोयला खान	595
373	पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार	595
374	बम्बई में चोरी छिपे लाये गये गांजे का पकड़ा जाना	595–96
375	धुबरन बिजली घर	596
376	आयुर्वेदिक बोर्ड	596
377	पुनर्वास वित्त प्रशासन	596–97
378	उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत् क्षमता	597
379	परिवार नियोजन क्लिनिक	597
380	चेकोस्लोवाकिया से औद्योगिक दल	597–98
381	सरकारी कर्मचारियों को आवास नियतन	598
382	केरल भूमि सुधार अधिनियम	598
383	योजना आयोग में नये विभाग	599–600

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
354	Reorganisatiom of D.V.C.	586
355	Krishna-Godavari Water Dispute	587
356	Urban C. D. Blocks	587—88
357	Cost of Construction in Delhi	588
358	Land with Irrigational Facilities	588—89
359	Code of Conduct for General Insurance	589
360	Blood Requirements of Delhi Hospitals	590
361	Foreign Exchange Violations	590
362	Smuggling of Opium	591
363	Grants to States	591
364	Stock Exchanges	591—92
365	Soviet Power Generators	592
366	Congress Party Session at Durgapur	592—93
367	Blacklisting of Contractors	593
368	Industrial Housing	593
369	Committee on Hospitals	594
370	Ramagundam Power Station	594
371	Requisitioning of Private Buildings	594—95
372	Palana Colliery	595
373	Smuggling on East Pakistan Border	595
374	Seizure of Smuggled Ganja in Bombay	595—96
375	Dhuvaran Power Station	596
376	Ayurvedic Board	596
377	Rehabilitation Finance Administration	596—97
378	Irrigation and Power Potential of Orissa	597
379	Family Planning Clinics	597
380	Industrial Team from Czechoslovakia	597—98
381	Allotment of Accommodation to Government Employees	598
382	Kerala Land Reforms Act	598
383	New Divisions in Planning Commission	599—600

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	600
आसाम के लाठीटीला क्षेत्र में पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाया जाना	600–601
सभा पटल पर रखे गये पत्र	601—603
गोआ, दीव और दमन के विलय के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के बारे में व्यवस्था का प्रश्न	603
भाषा के मामल में वक्तव्य	603—607
श्री लाल बहादुर शास्त्री	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	607—26
श्री जी० भ० कृपलानी	607—609
डा० पं० शा० देशमुख	609—11
श्री मजीठिया . . .	611—13
श्री जयपाल सिंह	613–14
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	614–15
श्री रामचन्द्र मलिक . .	615–16
श्री अ० शं० आल्वा	617–18
श्री नरसिंहा रेड्डी . .	618–19
डा० मा० श्री० अणे	619–20
श्री जसवन्त मेहता	620–21
श्री ज० ब० सिंह . . .	621–22
श्री मुहम्मद ताहिर	622–23
श्री शिवमूर्ती स्वामी . . .	624
श्री ह० च० सोय	624—26
श्री रामेश्वरानन्द	626

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
Firing by East Pakistan Rifles in Lathitilla area of Assam	600-01
Papers laid on the Table	601—03
Point of Order re : Calling attention to merger of Goa, Diu and Daman	603
Statement re : Language issue	603—07
Shri Lal Bahadur Shastri	603—07
Motion on President's Address	607—26
Shri J. B. Kripalani	607—09
Dr. P. S. Deshmukh	609—11
Shri Majithia	611—13
Shri Jaipal Singh	613-14
Shri P. R. Chakraverti	614-15
Shri Rama Chandra Mallick	615-16
Shri A. S. Alva	617-18
Shri Narasimha Reddy	618-19
Dr. M. S. Aney	619-20
Shri Jashvant Mehta	620-21
Shri J. B. Singh	621-22
Shri Mohammad Tahir	622-23
Shri Sivamurthi Swamy	624
Shri H. C. Soy	624—26
Shri Rameshwaranand	626

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 फरवरी, 1965/6 फाल्गुन, 1886 (शक)

Thursday, Feb. 25/1965/Phalguna, 6 1886 (Saka),

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए }
{ MR. SPEAKER *in the Chair* }

एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उद्योग

*143. { **श्री ईश्वर रेड्डी** :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री कोया :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री उइके :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को उद्योग खोलने की अनुमति दी गई है और कितने उद्योग अब तक स्थापित किये गये हैं ;

(ग) ये उद्योग किन देशों में स्थापित किये गये हैं ; और

(घ) इन उद्योगों में भारतीयों ने कितनी पूंजी लगाई है ?

.602(Ai)LS—1.

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) 17 भारतीय फर्मों को, विदेशों में 24 औद्योगिक उपक्रमों में पूंजी लगाने की अनुमति दे दी गयी है ।

(ग) और (घ) कुल 349.7 लाख रुपये की पूंजी लगाने की मंजूरी दी गयी है और यह पूंजी इन देशों में लगायी जानी है : बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, ईथिओपिया, ईरान, इराक, कीनिया, लीबिया, मलयेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सऊदी अरब और सीरिया ।

श्री ईश्वर रेड्डी : लाभ के उद्देश्य से विदेशों में पूंजी लगाना समझ में आ सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एशियाई और अफ्रीकी देशों में उद्योग स्थापित करना अफ्रीकी देशों के साथ हमारे भ्रातृभाव और सहकारिता के हमारे घोषित उद्देश्यों के अनुकूल है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि 17 उपक्रमों को विदेशों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि वे 17 उपक्रम कौन-कौन से हैं और क्या बिड़ला समवायों को भी अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो कितनी संस्थायें स्थापित करने की अनुमति दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : बिड़ला समवाय भी उन में से एक है ।

अध्यक्ष महोदय : सूची पटल पर रख दी जाये ।

श्री ब० रा० भगत : मैं पूरी सूची को सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि बिड़ला समवायों को कितनी संस्थायें स्थापित करने की अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सूची से देखा जा सकता है । मैं ने इसे पटल पर रखने के लिए कह दिया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या नेपाल में बनी वस्तुओं को निःशुल्क भारत में आने की अनुमति दी जाती है । यदि हां, तो क्या इस से सीमा के निकट स्थापित उद्योगों से भारतीय उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न देशों में किस प्रकार के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं । क्या यह कारखाने इस आधार पर स्थापित किए जायेंगे कि हमारे देश से उन पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात हो जिन से विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी भी लम्बी सूची होगी । उसको भी पटल पर रख दिया जाये ।

श्री ब० रा० भगत : पूरी सूची पटल पर रखी जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know that the people have began investing. Has any time limit been fixed for the full investment. What will be manufactured in those factories.

Shri B. R. Bhagat: Some factories have started production and some factories are being constructed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What are the things which are to be manufactured in those factories.

Mr. Speaker: All this information will be supplied in the report of the Ministry.

श्री अल्वारेस : क्या विदेशों में भारतीय पूंजी लगाने के बारे में यह शर्त लगाई गई है कि उन देशों से अधिक लाभ होना चाहिए ?

श्री ब० रा० भगत : अधिक लाभ की सम्भावना भी एक कारण है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या कुछ चुने हुए ही उद्योगों को विदेशों में स्थापित करने की अनुमति दी जाती है ? यदि हां, तो इस नीति का आधार क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार उद्योग से होने वाली लाभ हानि के आधार पर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है सामान्यत: इन से लाभ उठाने का ही विचार है । निर्यात को भी ध्यान में रखा गया है । तीसरे यह भी विचार है कि इन उद्योगों की स्थापना से वहां पर भारतीय मशीन तथा यंत्र लग जायेंगे ।

श्री कपूर सिंह : विदेशों में राष्ट्रीय पूंजी लगाने की अनुमति देने से पहले क्या इस खतरे पर ध्यान रखा गया है कि कहीं उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण वहां पर न हो जायें अथवा वहां की सरकार उस पूंजी को जब्त न कर ले ।

श्री ब० रा० भगत : आवेदन पत्र देने वाले लोग इन बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : उन देशों में लगाई जाने वाली कुल पूंजी कितनी होगी । क्या उन देशों से करों में कोई रियायतें प्राप्त की गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने कुल आंकड़े बताये हैं। कुल पूंजी 349.7 लाख रुपये है । जहां तक करों में रियायतों का सम्बन्ध है, प्रत्येक देश का ब्योरा अलग अलग है । इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra: May I know whether there was no need to establish those factories in India, which the Government have allowed the capitalists to set up in other countries. If there was need for their establishment in India and if foreign exchange is saved thereby, why these industries are being allowed to be set up abroad?

Shri B. R. Bhagat: The need of the country is also considered. Only surplus capital is being invested in other countries and there are many other advantages. All the advanced countries of the world, whether they are socialists or capitalists, invest in other countries.

Shri S. N. Chaturvedi: May I know whether the capital goods and machinery etc. will be exported to the countries where we are going to set up these factories?

Shri B. R. Bhagat: I have already replied that generally, machinery and components manufactured in India are being used.

Shri Sheo Narain: Have the Governments of those countries, where our Industrialists are establishing industries assured protection to them?

Shri B. R. Bhagat: All the industrialists first of all get them selves assured, that whether the government of that country will give them protection or not.

Floods in Delhi

+

*144. { **Shri Naval Prabhakar:**
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Water and Power Commission had referred all the problems relating to floods in the Union territory of Delhi and the adjoining areas for making experiments on models to the Central Water and Power Research Station, Khadakvasla (Poona);

(b) if so, the result of the study conducted by the above Research Station; and

(c) the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) The effects of various bridges on Najafgarh and bye-pass channels on improving the capacity of the drains were studied. Experiments are in progress to study the back water levels in Nagafgarh drain for different discharges and water levels in Yamuna.

(c) The results are being applied in remodelling Najafgarh drain to carry increased discharges.

Shri Naval Prabhakar: When will the result be known?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया है प्रयोग किये जा रहे हैं और परिणामों को समय समय पर प्रयोग में लाया जाता है । यह सब अगले एक या दो महीनों में किया जायेगा ।

Shri Naval Prabhakar: May I know whether this survey was confined to the territory of Delhi or the areas nearby, which are affected by it, are also included in this survey.

डा० कु० ल० राव : नजफगढ़ नाले के मामले में हम पंजाब और राजस्थान के पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह प्रयोग दिल्ली में ही किए गये हैं या अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयोग किये गये हैं। क्या दिल्ली के प्रयोग का असम, पंजाब आदि अन्य राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

डा० कु० ल० राव : विभिन्न राज्यों द्वारा बतायी जाने वाली विभिन्न समस्याओं पर समय समय पर नमूने के रूप में प्रयोग किये जाते हैं । निस्सन्देह, प्रत्येक प्रयोग से ऐसी शिक्षा मिल सकती है जिसका प्रयोग अन्य राज्यों के मामले में भी किया जा सकता है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Najafgarh Drain be widened and deepened and some drains are being taken out from this before next rainfall so that Dhansa Bandh could be removed to save Punjab territory from floods?

डा० कु० ल० राव : झज्जर झील और राजस्थान क्षेत्र के पानी को निकालने के लिए नजफगढ़ नाले को चौड़ा किया जा रहा है ताकि उस में 3,000 क्यूसेक्ज पानी बह सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ढांसा बांध को हटाया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : ढांसा बांध के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक बाढ़ के पानी को जमुना तक ले जाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक ढांसा बांध इसी प्रकार बना रहेगा ।

Shri Yashpal Singh: An area of 25 lakh acres is lying near Delhi which has not been cultivated for the last ten years. When cultivation was being carried out in this land then this water was being used there. Now this water is not used here and so there is always floods. Have any steps been taken to save this 25 lakh acres of land from floods.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि सारे देश में प्रति वर्ष बाढ़ों से लगभग एक करोड़ रुपये की हानि होती है । दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में भारी वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ों से बहुत हानि हुई है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में किस हद तक वृद्धि होगी और भारी बाढ़ों के कारण लोगों को होने वाले कष्ट किस हद तक कम हो जायेंगे ।

डा० कु० ल० राव : इन कामों का उद्देश्य नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में अधिक पानी डालना है । ऐसा होने पर उन क्षेत्रों में अधिक कृषि उत्पादन होगा जिन में अब बाढ़ आती है ।

Shri M. L. Dwivedi: What amount has been sanctioned by the Government for the prevention of floods and how much amount has been spent?

डा० कु० ल० राव : नजफगढ़ नाले को नये रूप में बनाने के लिए लगभग 1 1/2 करोड़ रुपया खर्च किया गया है । और राशि इस से भी अधिक खर्च की जायेगी । अन्तिम योजनायें अभी नहीं बनाई गई हैं। नजफगढ़ नाले को बढ़ाने के लिए कुछ और

योजनाओं की जांच हो रही है और उन पर विचार किया जा रहा है । हम ठीक ठीक नहीं जानते कि कितना खर्च होगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस समस्या के सम्बन्ध में एक अल्पकालीन कार्यक्रम है और इसे स्थायी रूप से हल करने के लिये एक लम्बे समय का कार्यक्रम है । क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाली वर्षा ऋतु में ऐसी दुःखद स्थिति नहीं आयेगी जैसी पिछले वर्ष दिल्ली तथा पंजाब में आई थी । यदि हां, तो समस्या के अल्पकालीन हल के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

डा० कु० ल० राव : ऐसा आश्वासन देना सम्भव नहीं है क्योंकि बाढ़ वर्षा पर निर्भर करती है । यदि इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर वर्षा हो तो निस्सन्देह कुछ कष्ट तो अवश्य होगा । परन्तु यदि वर्षा सामान्य रूप से हो तो मुझे आशा है कि उठाये गये कदमों के परिणाम स्वरूप दिल्ली और पंजाब दोनों में उतना कष्ट नहीं होगा जितना पहले हुआ था ।

Shri K. N. Tiwary: As a result of this study, what steps have been taken to prevent floods next years and what result is expected.

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर लगभग दिया जा चुका है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The areas around Delhi remain waterlogged for 3 to 4 months which causes much inconvience to traffic and thereby students suffer much. I want to know whether something is contemplated to be done to prevent this situation, and if so, when is it likely to be completed?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए कई काम किये जा रहे हैं । जब तक वह सभी पूरे नहीं हो जायेंगे अथवा और कुछ नये काम नहीं किए जायें तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि हम नजफगढ़ नाले तथा नाला सं० 8 को चौड़ा आदि करके यमुना में और अधिक पानी खींच सकें तो और अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । इस स्थिति में यह कहना कठिन है कि ये कार्य कब तक पूरे होंगे ।

Shri Gulshan: Whether the hon. Minister is aware that the road between Delhi and Palwal becomes unserviceable when it rains in that area? I want to know what is being done to extract water from this area?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली तथा पंजाब के क्षेत्र जैसे नजफगढ़ क्षेत्र में सड़क ऊंची की जा रही है ताकि पानी के स्तर से सड़क ऊपर रहे। इससे इस मार्ग के यातायात पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा । अन्य क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Gulshan: The hon. Minister has said that the road level is higher than water. But I can say that it is not so and they remain water-logged?

Mr. Speaker: If the roads are not already higher than the water level then these roads will be made higher.

राष्ट्रीय योजना परिषद्

+
*145. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरन्द्र पाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री कोला वेंकैया :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री हेम राज :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **योजना** मंत्री 21 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में प्रस्तावित राष्ट्रीय योजना परिषद् गठित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और इसका कार्य-क्षेत्र तथा मुख्य कृत्य क्या क्या हैं ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय योजना परिषद् के शीघ्र ही गठित होने की सम्भावना है ।

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether the membership of the Council will be for the Government or whether the various industrial establishments, Chambers etc. will also get representations?

Shri B. R. Bhagat: They will be non-Government people and will be experts on Agriculture, Industry, Commerce, Trade, Education etc.

Shri Rameshwar Tantia: It is only now, when our 3rd 5-Year Plan is in progress, have the Government thought of establishing such a Council. What are the reasons for the same?

Shri B. R. Bhagat: At present we have Advisory Panels, Study Groups. As the work of the Planning Commission progresses and we embark upon 1st, 2nd, 3rd Plans and so on, our problems are also becoming more and more complex. That is why it has to be considered desirable to obtain the services of those who are specialists in these matters and have devoted all their lives to their work and connect them to the day to day work of the Planning Commission to obtain their suggestions and guidance.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें ज्ञात हुआ है कि इस परिषद् में दूसरे व्यक्तियों के अतिरिक्त देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी होंगे। कल प्रश्न काल के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि सरकार वैज्ञानिकों की एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना पर विचार कर रही है ।

क्या यह एक जैसी ही संस्थायें नहीं होंगी और क्या इससे भ्रम नहीं उत्पन्न हो जायेगा। और समय तथा शक्ति नष्ट न होगी ?

श्री ब० रा० भगत: : जी नहीं। यह दो निकाय भिन्न भिन्न कार्य करेंगी। इस सूची में भी वैज्ञानिक होंगे, परन्तु वह विशेषज्ञों का कार्य करेंगे।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं इस सुझाव के कारण तथा आधार जान सकता हूं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने स्पष्टत: बता दिया है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Whether the village representatives have also been included in the council because they who are conversant with rural problems.

Shri B. R. Bhagat: The representatives regarding Agricultural problems have also been included.

श्री दी० चं० शर्मा : राष्ट्रीय योजना परिषद् के सदस्यों की एक सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी परन्तु इसकी ठीक होने के बारे में मैं आश्वासन नहीं दे सकता। इस सूची को देख कर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह भाई भतीजावाद का एक और उदाहरण है और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अखिल-भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने योग्य हों और केवल वही व्यक्ति लिये गये हैं जिनके पास पहले ही बहुत काम है।

श्री ब० रा० भगत: सब से पहले मैं सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वह प्रकाशित सूची पर विश्वास न करें। जैसा मैंने कहा यह निकाय शीघ्र ही बनाया जाएगा —इसको अभी तक नहीं बनाया गया है। दूसरी बात यह है सदस्यों को चुनने का आधार स्थान विशेष का प्रतिनिधित्व करना नहीं है परन्तु उनकी विशेष क्षेत्रों में विशेषता है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या आयोजना सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जा रहा है और क्या ऐसी विशेषज्ञ समितियां योजना की कार्यान्विति से भी सम्बद्ध होंगी और यदि हां, तो किस स्तर पर ?

श्री श्री ब० रा० भगत: कार्यान्विति के बारे में भी वह अपना परामर्श देंगी।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या योजना में भी कोई परिवर्तन हो रहा है ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

श्री ब० रा० भगत : यह समितियां रूप रेखा, नीतियों तथा पूर्ववर्तिताओं के बारे मे भी परामर्श देंगी। योजना आयोग के परामर्श से सरकार तथा संसद् इन पर निर्णय लेती हैं।

श्री हेम राज : इस दृष्टि से कि योजना आयोग के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं फिर एक और विशेषज्ञ परिषद् बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगत : योजना, आयोग में बहुत ही सीमित संख्या में सदस्य हैं। योजना आयोग के सदस्य इतने व्यक्ति नहीं हो सकते कि उनमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ आ जायें। इसलिये यह परिषद् बनाना आवश्यक है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह योग्य विशेषज्ञों को लेने के लिए किया गया है । क्या सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर गया है कि वही व्यक्ति लिये जाएं जो व्यवहारिक तौर पर ही विशेषज्ञ हों जैसे कि कृषक वह व्यक्ति जो उत्पादन करते हैं, और वह लोग जिनको कुछ इसके बारे में जानकारी हो उन्हें ही इस परिषद् में रखा जाना चाहिये । जो व्यवाहारिक सुझाव दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस परिषद् का अपना पृथक सचिवालय होगा अथवा वह योजना आयोग के सचिवालय से काम चला लेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । उनका अपना कोई सचिवालय न होगा ।

डा० रानेन सेन : समाचारों से ज्ञांत हाता है कि इस परिषद् के सदस्य ऐसे विख्यात विशेषज्ञ होंगे जो सामान्यतः भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों के विरोधी हैं इसलिये क्या सरकार की इच्छा इन पर प्रतिबन्ध तथा रोक आदि लगाने की है ।

श्री ब० रा० भगत : उन्हें सरकार की मूल नीतियों तथा योजना आयोग की नीतियों के अनुसार रहना होगा ।

श्री बूटा सिंह : इस दृष्टि से कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों के लोगों की दशा सुधारने में असफल रही है क्या मंत्री जी इस सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि इस परिषद् में इन जातियों का भी एक प्रतिनिधि लिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का भी कोई प्रतिनिधि इस परिषद् में लिया जाएगा ?

श्री ब० रा० भगत : यदि वह विशेषज्ञ होगा तो लिया जाएगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस परिषद् में श्रमिकों का भी कोई प्रतिनिधि होगा क्योंकि श्रम से ही योजना तथा इसकी कार्यान्विति होती है ।

श्री ब० रा० भगत : : श्रम का प्रतिनिधि होगा ।

श्री शिंकरे : इस समय भी योजना आयोग के मंत्रिमण्डल से सर्वोपरि होने की युक्ति-संगत तथा न्यायोचित आलोचना की जाती है, तो इस विचार से क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि यह राष्ट्रीय योजना परिषद् योजना आयोग तथा सरकार दोनों के ऊपर का एक व्यवस्था न बनने पाये ?

श्री ब० रा० भगत : पहली बात तो यह है कि यह एक अनुचित आलोचना है योजना आयोग एक सर्वोपरि ढांचा नहीं है । यह तो एक सलाहकार निकाय है जो सरकार को सलाह देता है ।

श्री पु० र० पटेल : योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा मंत्रिमण्डल तो पहले ही हैं इसलिये क्या इस नए मनोनीत निकाय का कार्य विकास परिषद् अथवा योजना

आयोग तथा अन्य निकायों के कार्यों से किस प्रकार भिन्न होगा और क्या इन वर्तमान तीन निकायों में कार्य कर रहे विशेषज्ञ इस मामले की देख रेख के लिए पर्याप्त नहीं हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य केवल विवाद कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, I have a very important question to put.

Mr. Speaker: What will come next is still more important.

राजस्थान नहर परियोजना

+

*146. श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हेम राज :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राजस्थान नहर परियोजना की व्यवस्था सम्बन्धी तथा वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने संघ सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करदी हैं; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने इस बारे में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं तथा केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन दल ने कतिपय अस्थायी सुझाव दिये हैं जो विचाराधीन हैं और उनके बारे में अभी मत निश्चित किया जाना है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : सिंचाई का मुख्य साधन, अर्थात् उस क्षेत्र में बहुत बड़ा तालाब होने के अतिरिक्त, क्या अध्ययन दल ने उस प्रतिवेदन में यह पुष्टि की है कि नौ परिवहन के लिये भी उनको देश के पूर्वी से मिलाया जा सकता । क्या यह भी उनकी एक सिफारिश है ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय इस पर जांच नहीं की जा रही है । यह एक दीर्घकालीन काम हो सकता है ।

श्री हेम राज : क्या राजस्थान नहर को पानी इन दो परियोजनाओं—ब्यास परियोजना और सतुलज-ब्यास लिंक से दिया जायेगा, और चूंकि उन क्षेत्रों के लोगों को सिंचाई परियोजना अथवा नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व ही बाहर निकाला जा रहा है तो इसकी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर होगी अथवा राजस्थान सरकार को दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जब प्रस्तावित प्राधिकार स्थापित हो जायेगा तो वह इस प्रश्न की भी जांच करेगा ।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अपने पूल में राजस्थान नहर, गण्डक परियोजना और दक्षिण की कुछ अन्य परियोजनाओं को लेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न राजस्थान सरकार से संबन्धित है।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the number of recommendation of this study team taken by Central Government and the State Governments for implementation separately?

Shri B. R. Bhagat: All these are under consideration.

श्री हिम्मत सिंह जी : क्या राजस्थान नहर के काण्डला पत्तन तक विस्तार करने के प्रश्न पर भी जांच की गई है ।

श्री ब० रा० भगत: इस की अध्ययन वर्ग ने जांच नहीं की थी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या अध्ययन दल ने परियोजना क्षेत्र में भूमि में वस्तियां बसाने, भूमि बेचने और पट्टे पर भूमि देने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो वह सिफारिश क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। जो कि विचाराधीन हैं। निर्णय करने पर हम इसके बारे में बतायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhaivya: May I know the recommendations made by this study team, when a decision will be taken thereon and when they will be implemented?

Shri B. R. Bhagat: It will not be proper to tell those recommendations now as they are still under consideration. It is just possible that we may except or reject some of the recommendations and make alterations in others. So it will be better if we lay them before the House after a decision is taken on them.

Shri Gulshan: The Rajasthan Nahar passes through Punjab. May I know whether the point of giving compensation to the land owners whose lands have been taken, been referred to in the recommandations.

Shri B. R. Bhagat: This point will also be considered.

Shri Sheo Narain: May I know whether this study Group consists only of engineers and officers also?

Shri B. R. Bhagat: The study group includes officials of Planning Commission, Irrigation and Power Ministry, Finance Ministry and of State Governments also.

श्री श्रीनारायण दास : क्या अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर राजस्थान सरकार का मत ले लिया है ?

श्री ब० रा० भगत : राजस्थान के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के बीच बातचीत हुई थी।

कृषि उत्पादन को दुगुना करने के लिए अल्पकालीन योजना

+

*147 { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री समनानी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की सलाह पर योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अगले दो वर्षों में कृषि उत्पादन दुगना करने के लिए एक अल्पकालीन योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या योजना आयोग की यह नीति है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिन प्रति दिन जो मूल्यवान सुझाव दिये जाते हैं उनकी उपेक्षा की जाये और यदि हां, तो प्रधान मंत्री के सुझावों की ओर ध्यान न देने का क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने उत्तर को गलत समझा है । प्रश्न यह था कि क्या प्रधान मंत्री ने दो वर्ष में कृषि उत्पादन को दुगना करने के लिये किसी अल्पकालीन योजना के बारे में कोई सलाह दी थी और उत्तर में मैंने कहा कि, नहीं, उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी । इसलिये उनकी मंत्रणा की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा है कि वह उत्पादन को दुगना करना चाहते हैं । वह और क्या मंत्रणा दे सकते हैं ? क्या वह ये बता सकते हैं कि कितनी एकड़ भूमि पर हल चलाया जायेगा, कितना पानी दिया जायेगा और कितने बीज दिये जायेंगे ? क्या आप का यह

अर्थ है कि प्रधान मंत्री एक काश्तकार बन सकते हैं और ऐसी मंत्रणा दे सकते हैं ? उन्होंने सुझाव दे दिया है कि उत्पादन दुगना होना चाहिये। मंत्री कहते हैं कि उन्होंने कोई मंत्रणा नहीं दी है। मैं समझता हूं कि योजना आयोग के सदस्यों ने प्रधान मंत्री के प्रति कोई अच्छी बात नहीं दिखाई है ।

श्री अल्वारेस : प्रश्न की भाषा ठीक नहीं है। यह कहता है "अगले दो वर्षों में दुगना कृषि उत्पादन" क्या यह संभव है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर वह बाद में योग्य प्राध्यापक से चर्चा कर लें।

श्री ब० रा० भगत : यदि वह समाचार पत्र में छपे भाषण का हवाला दे रहे हैं, तो हमने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में जिस रूप में उनके भाषण को छापा गया है वह सही नहीं था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि दो वर्ष में कृषि उत्पादन दुगना कर देना चाहिये। उन्होंने कहा कि चौथी योजना में कृषि के लिये स्वयंपूर्ण योजना होनी चाहिये और केवल कृषि उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए ही नहीं अपितु औद्योगिक आपात सहित आपात की विभिन्न वस्तुओं को भी लिया जाना चाहिए। वह हमने ले लिया है। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति ने इसकी जांच की है और चौथी योजना सही सभी संसाधनों और आयात की व्यवस्था के लिये एक कृषि योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री डी० चं० शर्मा : यदि इस प्रश्न की भाषा, जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा उसके अनुसार नहीं थी तो क्या योजना आयोग का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह प्रश्नकर्ता को यह बताता इसको उस रूप में रखा जाये जिस रूप में सुझाव दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके लिये किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह देखते हुए कि कृषि क्षेत्र में सीमेंट की कमी के कारण खाद्य उत्पादन बढ़ाने की सरकार की अधिकांश योजनाएं प्रगति नहीं कर रही हैं, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये शहरों से देहातों में सीमेंट भेजने के लिये सरकार क्या करने का विचार रखती है।

श्री ब० रा० भगत : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि कृषि उत्पादन के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता है हम उन सभी को देने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे वह सीमेंट हो, चाहे इस्पात अथवा उर्वरक, सब को दिया जायेगा।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दो वर्षों में कृषि उत्पादन को दुगना नहीं किया जायेगा। जब कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि तृतीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जायेगा। क्या सरकार ने मैजिस्ट्रेटों को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राशियां मंजूर करने के लिये स्पष्ट अनुदेश दे दिये हैं; यदि हां, तो छोटी सिंचाई योजनाओं को मंजूर करने के लिये इन मैजिस्ट्रेटों को कितनी शक्तियां दी गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जिला मैजिस्ट्रेटों को यहां से अनुदेश देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विभिन्न राज्यों से बातचीत करके स्वयं योजना में ही छोटी सिंचाई के लिये हमने अधिकतम राशि का उपबन्ध कर दिया है। वे जो कुछ चाहते थे हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। यदि परियोजना तैयार हो तो हमने निधि देने का प्रयत्न किया है।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रकट की गई इच्छा को कार्य रूप देने के लिये क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है । जैसा कि मैंने बताया यह प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति को निर्दिष्ट किया गया था । वे स्वयं चौथी योजना में ही एक स्वयंपूर्ण कृषि योजना तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : यह सुनिश्चित करने के लिये कि योजना केवल कागज पर ही सुन्दर न दिखाई दे अपितु उसको भली भांति पूरी तरह क्रियान्वित भी किया जाये क्या पूर्वोपाय किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

Shri Bibhuti Mishra: Has the Minister of Planning given any attention to the speech of the Prime Minister in which he urged for an immediate implementation of the small irrigation schemes so that water could be put to best use?

Shri B. R. Bhagat: All these short comings are being removed. We have tried to approve all the schemes received under small irrigation scheme in State Plan this year.

श्री अ० प्र० जैन : क्या उर्वरकों और ट्रैक्टरों के निर्माण को भी स्वयंपूर्ण योजना में रखा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : कृषि को एक परियोजना के रूप में समझा जायेगा जिसमें न केवल शारीरिक श्रम अपितु उन चीजों की ओर भी ध्यान दिया गया है जो किसान की सहायता के लिये उद्योगों द्वारा उसको दी जा सकती है ।

श्री अ० प्र० जैन : मेरा प्रश्न उर्वरकों के संबंध में था ।

श्री ब० रा० भगत : यह औद्योगिक वस्तुओं के अन्तर्गत आ जाता है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि योजना आयोग और भारत सरकार सामान्यतः उन राज्यों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों और योजनाओं को महत्व नहीं देती है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अधिक उत्पादन किया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच नहीं है ।

श्री रंगा : क्या इस में भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि द्वारा किये गये इस वायदे को भी शामिल किया गया है कि उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : हो सकता है कि प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना संभव न हो । परन्तु देश भर में अनेक उर्वरक कारखाने स्थापित करने का इरादा है जहां भी उनको स्थापित करना सुविधाजनक होगा । बड़े पैमाने पर उर्वरकों के उत्पादन के लिये एक कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रंगा : एक वायदा किया जाता है और फिर सरकार उसको हटा कर दूसरी घोषणा कर देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि घोषित की गई योजना को सरकार क्रियान्वित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में वह केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : यदि राज्य सरकारें कुछ क्षेत्रों के लिये निश्चित सुझाव नहीं भेजती हैं तो क्या सरकार अधिक अनाज पैदा करने के लिये उन क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय सदस्यों के सुझावों को स्वीकार करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्वभावतः संसद् सदस्य जो भी सुझाव देगा, योजना उस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करेगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या योजना आयोग अथवा भारत सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है कि स्वयंपूर्ण कृषि योजना में किन किन विषयों को रखा जायेगा ? यदि हां, तो वे विषय क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वह योजना अभी बनाई जा रही है ।

श्री के० दे० मालवीय : अभी मंत्री महोदय ने मेरे माननीय मित्र श्री अ० प्र० शर्मा के एक प्रश्न का उत्तर दिया । क्या उस उत्तर का अर्थ यह है कि ट्रैक्टरों और उर्वरकों का निर्माण इस नई परियोजना के अन्तर्गत आ जायेगा और इसको उद्योग मंत्रालय से ले लिया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जिम्मेवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का आशय नहीं है, परन्तु एक एकीकृत योजना बनाने का विचार है । मेरे साथियों ने उर्वरकों का जिक्र किया । जैसा कि प्रो० रंगा के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया उर्वरक को बड़े पैमाने पर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । इसका निर्माण मुख्यतः तेलशोधक कारखानों के पास ही होगा । इसी प्रकार कृषि प्रयोजनों के लिये आवश्यक औजारों और ट्रैक्टरों के निर्माण को भी सब से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है । अधिकांश राज्यों ने कृषि औद्योगिक निगमों में दिलचस्पी ली है । शायद चार राज्यों में तो ये शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे ।

शरावती विद्युत् परियोजना

*148. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री शराबती घाटी विद्युत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने के लिये बंगलौर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना व्यय होगा और प्रथम चरण में उपभोग के लिये कितनी मात्रा में बिजली दी जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार मैसूर की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शराबती घाटी परियोजना पर होने वाले समूचे व्यय को वहन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम चरण पर कुल 52·7 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इस चरण से जिस में दो मशीनें होंगी 9360 लाख किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होगी ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि शेष एकक कब तक चालू किये जायेंगे ?

डा० कु० ल० राव : आशा है कि दसों एकक 1968–69 तक पूरे हो जायेंगे ।

श्री रा० गि० दुबे : शरावती विद्युत् परियोजना देश में सर्वोत्तम तथा कम खर्चीली परियोजनाओं में से एक है और आशा है कि इससे इतनी अधिक बिजली पैदा होगी जो देश के अन्य भागों को भी दी जा सकती है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेने तथा उसका खर्च उठाने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस परियोजना में बिजली पैदा करने का खर्च सब से कम होगा । किन्तु मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लेने का कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : वास्तव में इसे किस तिथि से चालू किया गया था और यह निश्चित तिथि से कितने विलम्ब से चालू हुई है, और यदि हां, तो क्या यह विलम्ब ठेकेदारों द्वारा कई बार मध्यस्थ निर्णयार्थ जाने के कारण हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : यह बिलकुल सच है कि इस परियोजना में दो साल का विलम्ब हुआ है । इसे 1963 में चालू किये जाने की आशा थी किन्तु यह 1965 में चालू हुई है । किन्तु यह विलम्ब ठेकेदारों द्वारा मध्यस्थनिर्णय के लिये जाने के कारण नहीं हुआ है । परियोजना में अन्तर्भूत कठिनाइयों एवं समय-समय पर किये गये परिवर्तनों के कारण ऐसा हुआ है ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know to what extent the expenditure on irrigation and power has increased as a result of this delay by two years and the changes made therein?

डा० कु० ल० राव : परियोजनाओं में विलम्ब हो जाने से निस्सन्देह काफी नुकसान होता है । किन्तु इस मामले में विलम्ब रोका नहीं जा सका ।

श्री बासप्पा : क्या यह सच नहीं है कि शरावती परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री, प्रधान मंत्री और राजदूत चेस्टर बाउल्स ने काफी प्रशंसा की थी और कहा था कि यह परियोजना केवल मैसूर राज्य के लिये ही उपयोगी नहीं होगी अपितु अन्य राज्यों के लिये भी उपयोगी होगी । इस बात को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री महोदय इस परियोजना पर हुए कुल व्यय को

देने और उसे किस्तों में वसूल करने अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लेने और उसका कुल खर्च उठाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहिले ही निवेदन कर दिया है कि अभी तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है । इस परियोजना पर पहिले ही 50 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और अब शेष 30 करोड़ रुपये और व्यय होने हैं । मैं नहीं समझता कि मैसूर सरकार इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार के हाथ में सौंप देगी ।

श्री श्रीनारायण दास : इस परियोजना के सब से पहले बताये गये अनुमानित व्यय में कितनी वृद्धि हुई है और इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित व्यय क्या है ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के पहिले दो एककों के लिये स्वीकृति दी गई थी और अनुमानित व्यय 22 करोड़ रुपये था और बाद में इसका पुनरीक्षित खर्च 38 करोड़ रुपये हो गया । अब पहिले दौर में, यह 52 करोड़ रुपये तक चला गया है ।

श्री हेडा : इस समय जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसका क्या व्यौरा है और भविष्य में मैसूर तथा अन्य राज्यों में बिजली की कितनी खपत होगी ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहिले निवेदन किया है, लगभग 9.36 करोड़ किलोवाट 'अवर' बिजली पैदा की जाती है—यह एक बहुत बड़ी मात्रा है—और सब एककों के चालू हो जाने पर यह 46 करोड़ 'किलोवाट अवर' हो जाएगी । वास्तव में दक्षिण में आंध्र, मैसूर, मद्रास' और केरल के सभी बिजली घरों में विद्युत्-सप्लाई की जावेगी । किस राज्य में बिजली की कितनी खपत होगी—इस बारे में अभी मालूम नहीं है ।

Shri Sheo Narain: If the Centre is not prepared to take over this Scheme, whether they propose to give financial aid to the State Government?

डा० कु० ल० राव : केन्द्र से दिये गये ऋणों से परियोजना में धन खर्च किया जा रहा है ।

आवास बोर्ड

*149. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री दे० द० पुरी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

2602(Ai)LS—2.

श्री राम सेवक यादव :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में संविहित आवास बोर्ड स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रचना और कार्य क्या होंगे ; और

(ग) वे अपना कार्य कब आरम्भ कर देंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1964 में चंडीगढ़ में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि जिन राज्यों में सांविधिक आवास बोर्डों की अभी तक स्थापना नहीं की गयी है उन राज्यों में, आवास के कार्य क्रमों को भली भांति कार्यान्वित होने के आश्वासन के लिये उनकी स्थापना की जाये। राज्य आवास बोर्डों के कार्य विधियों के समन्वय और समर्थन के लिये केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना को भी सम्मेलन ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया था।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर में आवास बोर्ड पहले ही से कार्य कर रहे हैं। जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, उन्हें भी राज्य आवास बोर्डों की स्थापना पर विचार करने के लिये कहा गया है। केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना के संबंध में बड़ी तत्परता से विचार किया जा रहा है। मोटे तौर पर जब बोर्ड के कार्यो की रूप रेखा बना ली जायेगी तब एक विधेयक तैयार किया जायेगा और उसे संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी : राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है और उनमें से कितनी राज्य सरकारों ने आवास बोर्ड स्थापित करना स्वीकार कर लिया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक सम्मेलन का संबंध है, उसके बारे में सब की आम राय यह थी कि राज्य आवास बोर्ड स्थापित किये जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस समय में कुछ राज्यों में चालू आवास बोर्ड केन्द्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलने के कारण असफल हो गए हैं, यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दो प्रकार की निधियां हैं--योजना निधियां जो राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और वे निधियां जिन्हें हम जीवन-बीमा निगम के द्वारा देते हैं। जहां तक जीवन-बीमा-निगम-निधियों का संबंध है, योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपया दिया गया था। 15 करोड़ रुपये का पहिले ही संवितरण किया गया है और सम्भवतः और 15 करोड़ का संवितरण आगामी वित्तीय वर्ष तक किया जायेगा। जीवन-बीमा-निगम से निधियों की बहुत अधिक मांग है। अतः निधियों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक राज्य-निधियों का संबंध है, वे उनकी योजनाओं में ही शामिल हैं; और जैसा कि मैंने सभा में पहिले भी कई वार बताया है, उन निधियों का उपयोग अन्य दूसरे कार्यों के लिये भी किया जाता रहा है।

Shri Yashpal Singh: When Government are engaged in so many other works, why do they not extend facilities by giving cement, loans, etc. for the purpose of building houses to those who are in need of accommodation rather than indulging themselves in the setting up of these Boards?

Shri Mehr Chand Khanna: As there is necessity to have lakhs of houses we are devising means to construct them immediately.

श्री सुबोध हंसदा : राज्य आवास बोर्डों के लिये धन की व्यवस्था करने का क्या ढंग है ? उन्हें पूर्णतया अनुदान दिया जायेगा अथवा ऋण ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दो प्रकार की योजनायें हैं--अनुदान योजना तथा ऋण योजना। ऋण योजनाओं के अन्तर्गत, हम साधारणतया मकानों के लिये कम आय वाले वर्गों और मध्यम आय वाले वर्गों को ऋण देते हैं। ये ऋण जीवन-बीमा निगम निधियों से दिये जाते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : संविहित केन्द्रीय आवास बोर्ड कब तक बन जायेगा। मंत्रालय का इस पर किस प्रकार का नियंत्रण होगा, और स्थापित किये जाने वाले आवास बोर्डों पर राज्य के किन मंत्रालयों का नियंत्रण होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक केन्द्रीय आवास बोर्ड का सम्बन्ध है, उसके कामों के बारे में मामला विचाराधीन है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारा विचार एक विधेयक तैयार कर के उसे सदन के समक्ष लाने का है। वास्तव में अभी यह प्रारम्भिक स्थिति में है। हमारा विचार है कि बोर्ड को बाहर से भी कुछ धन इकट्ठा करना होगा जिस से इसको दिया गया धन व्यपगत न हों और राज्य आवास बोर्डों पर उनका कुछ अधिक नियंत्रण हो सके।

Shri R. S. Pandey: The State Housing Board has been set up with a view to expediting the house building schemes about which the hon. Minister has stated that a Bill would be brought immediately. May I know whether apart from the provision in regard to construction of houses in the urban areas, a provision would also be made in the Bill for providing maximum facilities to those living in the rural areas who would like to construct houses?

Shri Mehr Chand Khanna: So far as the Housing Schemes relating to the rural areas is concerned, I am prepared to admit that the progress has not been made to the extent to which it should have been made. During our conference, held in Chandigarh, we considered that we should advance loans and provide other facilities to villages with a view to expedite and give incentive in the construction of houses as this work is moving very slow in the rural areas.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में निधियों के अधिकांश भाग का पुनरावंटन किया गया है तथा उन्हें अन्य मदों में खर्च किये जाने के लिये रखा गया है, सरकार का विचार इन निधियों का उचित और उन कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए जिनके लिए वे निर्धारित हैं, क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये निधियां मुख्यत: आपात काल के कारण अन्य मदों में खर्चकी गयीं थीं। क्योंकि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं और बिजली तथा पानी के लिए अधिक प्राथमिकता

दी गयी थी । जहां तक चौथी योजना के अन्तर्गत निधियों का सम्बन्ध है, मैं इस मामले में राज्य सरकारों और योजना आयोग से बातचीत कर रहा हूं और यह प्रयत्न कर रहा हूं कि योजना के अधीन एक बार आवास के लिए निश्चित की गई धन राशि का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए न किया जाये। और मुझे इस मामले में राज्य सरकारों से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है ।

Shri Yudhvir Singh: The Life Insurance Corporation advances funds to various State Governments; there is also a Central Housing Board. May I know whether the L.I.C. funds are controlled by the Central Government also or the L.I.C., at their own, advances loans to the various States?

Shri Mehr Chand Khanna: I could not follow the question.

Mr. Speaker: The hon. Member wants to know as to whether the applications are submitted to the L.I.C. direct or they are submitted through the Central Government?

Shri Mehr Chand Khanna: So far as L.I.C. funds are concerned, there are allocations under the Plans. Every year we borrow money from the L.I.C. and disburse them to State Government keeping in view their demands. We take decision in our Ministry with regard to their allocations.

श्री दे० जी० नायक : राज्य आवास मंत्री सम्मेलन द्वारा एक उप-समिति बनाई गई थी। उस उप-समिति की विशेषत: समाज के कमजोर वर्गों के बारे में क्या सिफारिशें हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह समिति डेढ़ महीने पहले बनाई गयी थी । इस में योजना आयोग के सदस्य, श्री ठक्कर अध्यक्ष हैं और चार मंत्री हैं। उन को विशेष-निर्देश-पद दिये गए हैं । समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। मुझे आशा है कि मुझे उसका प्रतिवेदन एक महीने में मिल जाएगा और फिर उस प्रतिवेदन को आवास मंत्रियों की एक बैठक में पेश किया जाएगा और उस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री जसवन्त मेहता : जीवन बीमा निगम आवास कार्यक्रमों के लिये विभिन्न आवास बोर्डों को ऋण मंजूर कर रहा है । क्या आवास मंत्रालय इस ओर भी ध्यान देता है कि क्या जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गए ऋण तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गयी मंजूरी के अनुरूप हैं या उस से भिन्न हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक जीवन बीमा निगम की धन राशि में से ऋण देने का सवाल है हम यथासम्भव अधिकाधिक नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। हम उन से विवरण लेते हैं। मैं राज्यों का दौरा करता हूं और आवास योजनाओं पर ध्यान देता हूं ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम से ऋण का आवंटन तीसरी योजना में शामिल किया गया है या इस से बाहर का है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तीसरी योजना में शामिल है । तीसरी योजना में हमारे पास 180–190 करोड़ रुपये आवंटन के लिए हैं जिसमें से लगभग 120 करोड़ रुपये योजना-निधि से हैं और 60 करोड़ रुपये जीवन बीमा निगम से ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस पर बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की क्या क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वे आवास बोर्ड बनाने को सहमत हो गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इसका मैं एकदम उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार के मंत्री ने चंडीगढ़ में सम्मेलन में भाग लिया था और वह आवास मंत्रियों के निर्णय से सहमत थे।

श्री अल्वारेस : क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई अनिवार्य कोटा रखा गया है और इसका कुल निधि में क्या अनुपात है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है, मुख्य विचार यह है कि कुछ आदर्श गांव रखे जांय जिन में कुछ निर्धारित विकास कार्य किया जाए। इस प्रकार देश में 3000 से 5000 तक गांव चुने जायेंगे । लेकिन हम चौथी योजना में लक्ष्य से पिछड़ जाना चाहते हैं ताकि जैसा हम आवास के बारे में शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं वैसा ही ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे ।

कलकत्ता में सोने का गुप्त व्यापार

+

*150. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरूआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 दिसम्बर, 1964 के 'स्टेट्समैन' में "कलकत्ता में सोने का गुप्त व्यापार"[1] शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या उन्हें देश के अन्य बड़े शहरों में सोने के बढ़ते हुए गुप्त व्यापार के बारे में भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस गुप्त व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया है, यह कहना सही नहीं है, कि कलकत्ता में और अन्य बड़े शहरों में सोने का गुप्त व्यापार बढ़ रहा है । तथापि, सर्राफा बाजार में और सोना शुद्ध करने वालों, व्यापारियों और स्वर्णकारों की गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सीमा पर, पाकिस्तान के जरिये और हवाई जहाजों द्वारा सोना भारी मात्रा में चोरी छिपे लाया जा रहा है और इस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं ? सोने के चोरी छिपे लाये जाने के मामलों में जो नवीन बातें पता लगी हैं; उन को देखते हुए क्या इस ओर सरकार का ध्यान गया है ?

1. Calcutta has a Clandestine Gold Market.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जहां कहीं भी सम्भव होता है, सरकार हवाई जहाजों के जरिये सोने के चोरी छिपे लाये जाने को रोकती है । पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं से सोना चोरी छिपे लाये जाने के प्रश्न पर भी सतर्कता बरती जा रही है लेकिन वहां सरकार की कार्रवाई उस क्षेत्र के कारण इतनी क्रियाकारी नहीं हो सकती ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia: Certain gold was seized since December, 1964. I want to know the value of the gold so seized and whether persons from whose possession gold was seized were convicted or still the cases are pending?

Mr. Speaker: This is the question of market.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The gold was seized from the market.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए क्योंकि आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री शिंकरे: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सोने की चोरी छिपे लाये जाने का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और देश में वर्तमान मूल्य में विद्यमान बहुत अन्तर है । इस में दुगुने से भी ज्यादा का अन्तर है, सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है कि इस अन्तर को किसी उचित स्तर पर लाया जा सके ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब तक अधिक सोना आयात करने के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा नहीं किया जा सकता है ।

श्री हेडा : क्या चोरी छिपे लाये गये सोने का पता लगाने की सरकार की कोई व्यवस्था है ताकि स्पष्ट रूप से यह कहा जा सके कि सोने के चोरी छिपे लाये जाने में कमी है या वृद्धि है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: यह केवल मामलों के पकड़े जाने पर ही हो सकता है, जोकि हो रहा है, यदि हमें यह पता चल जाये कि सोने का किस प्रकार और कब चोरी छिपे लाया जाता है तो इसको चोरी छिपे लाया ही न जाए ।

सरकारी उपक्रमों के लिए गैर-सरकारी पूंजी

+

*151. **श्री जं० ब० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :

श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरूआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के लिये गैर-सरकारी पूंजी आकर्षित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार कोई व्यापक निर्णय करना आवश्यक नहीं समझती । जैसा कोचीन रिफाइनरोज़ के मामले में किया गया था, प्रत्येक मामले में उसके गुण-दोषों पर विचार करके निर्णय किया जायगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि आई० सी० सी० की पिछली बैठक में कुछ प्रस्ताव किए गए कि विदेशी गैर-सरकारी पूंजी 40 प्रतिशत होगी, सरकारी क्षेत्र में 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत भारतीय गैर-सरकारी पूंजी होगी और इस प्रकार वे समूची औद्योगिक नीति और सिद्धान्तों को, जो हम ने सरकारी क्षेत्र के लिए बनाए हैं, समाप्त कर रहे हैं? यह बात कहां तक सच है ? इसके बारे में आई० सी० सी० ने क्या प्रस्ताव पास किये ?

श्री ब० रा० भगत : आई० सी० सी० ने किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त किया हो लेकिन उन्होंने औद्योगिक नीति में दखल नहीं दिया है । जैसा मैंने बताया है, हर मामले पर इसकी अपनी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बात कितनी रकम के बारे में की जा रही है ? उन्होंने कितनी प्रतिशतता निर्धारित की है ? पहले यह 49:51 थी ।

श्री ब० रा० भगत : किसने बात की है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आई० सी० सी० ने ।

श्री ब० रा० भगत : आई० सी० सी० ने ? इसका हम से कोई सम्बन्ध नहीं है । कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है । हम हर मामले पर विचार करेंगे । जहां तक कोचीन तेल शोधक कारखाने का सम्बन्ध है, इसमें सार्वजनिक योगदान है ही । इससे अधिक सरकार कुछ नहीं कह सकती ।

Shri Yashpal Singh: The Government have been talking of socialism for long. Either the public should have control over it or the State should have control over it?

Shri B. R. Bhagat: This has no differences with socialism.

Shri M. L. Dwivedi: In view of the fact that in the public sector the profit is less than the private sector industries, I want to know

whether Government have considered over associating with the private sector to get the benefit of their experience and if not why not?

Shri B. R. Bhagat: There is no need to reconsider it. It has been considered last time and the decision has been taken taking in view of all these things as I quoted the instance of Cochin Refinery.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions.

भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से धन भेजा जाना

*152. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत सरकार के राजस्व गुप्तवार्ता विभाग के एक पदाधिकारी के उस भेंट की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने कहा था कि विदेशों से भारतीय नागरिकों द्वारा धन भेजने के बारे में उन्होंने जो रियायत दी है उससे देश में अधिक मात्रा में धन नहीं आयेगा क्योंकि देश में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो ब्रिटेन में सरकारी दर से अधिक दर पर स्टरलिंग खरीद लेता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) निदेश संभवत: उस समाचार के बारे में है जो 29 दिसम्बर, 1964 को कुछ समाचारपत्रों में छपा था । यह समाचार गलत है क्योंकि राजस्व गुप्तवार्ता विभाग के किसी अधिकारी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 में विदेशी मुद्रा की चोरबाजारी करने वाले लोगों को दण्ड देने की पर्याप्त व्यवस्था है । कथित अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि इन उपबंधों को अधिक क्रियाकारी बनाया जा सके ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :

*153. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मधु लिमये :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **योजना** मंत्री 24 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 670 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए किन बातों पर विचार किया गया और क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारण करने का विषय इस प्रकार का है जिस पर कई दृष्टिकोणों से विचार किया जाना है तथा राज्य एवं स्थानीय शासनों से विचार-विनिमय किया जाना है । तदनुसार अपेक्षित विश्लेषण एवं विचार-विनिमय पूरा करने और समुचित नीति निर्धारण करने में कुछ समय लगेगा ।

दिल्ली बृहत् योजना

*154. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली बृहत योजना को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 31 जनवरी, 1965 तक कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है और विभिन्न अभिकरणों को विकास के लिए सौंप दी गई है ;

(ग) क्या कूड़ा फैंकने के स्थानों के सम्बन्ध में, उस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति ने अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(घ) बादली के कूड़ा-क्षेत्र के जिसकी गन्दगी मानसून ऋतु में यमुना जल को दूषित किया करती है, बजाये कोई उपयुक्त स्थान छांटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3854/65]

(ख) लगभग 16,000 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है जिसमें से 9,016.15 एकड़ भूमि विकास के लिये विभिन्न एजेन्सियों को नियत कर दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) बादली में जो कूड़ा कर्कट डालने वाला मैदान है वह 21 दिसम्बर, 1964 से बन्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर इस कार्य के लिए करनाल रेलवे लाइन क्रासिंग के समीप रिंग रोड पर एक कम सतह वाला क्षेत्र काम में लाया जा रहा है ।

पूंजी जारी करना

*155. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 की चार तिमाहियों में कितनी बार पूंजी जारी करने की मंजूरी दी गई ;

(ख) पहले जारी की गई पूंजी की तुलना में यह कितनी है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में वास्तव में जारी की गई पूंजी का अनुपात क्या है और कुल कितनी पूंजी की मंजूरी दी गई ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) 1964 की चार तिमाहियों में मंजूर किये गये शेयर-पूंजी और ऋण-पत्रों (डिबेंचर) के निर्गमों की संख्या और 1963 की चार तिमाहियों के तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :--

	1964	1963
पहली तिमाही . . .	62	93
दूसरी तिमाही	48	72
तीसरी तिमाही	59	102
चौथी तिमाही	39	83
	208	350

(ग) पिछले तीन वर्षों में बिके शेयरों आदि की प्राप्त रकम और मंजूरियों की कुल रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	मंजूरी की रकम	बिके शेयरों आदि की रकम	अनुपात
1962	. 343.96 करोड़ रु०	264.65 करोड़ रु०	76.93 प्रतिशत
1963	. 348.82 करोड़ रु०	227.70 करोड़ रु०	65.24 प्रतिशत
1964 .	. 295.50 करोड़ रु०	248.64 करोड़ रु०	84.10 प्रतिशत

टिप्पणी—यह जरूरी नहीं है कि किसी वर्ष बिके शेयरों आदि की रकम का उसी वर्ष दी गयी स्वीकृति से सम्बन्ध हो, क्योंकि उस रकम के कुछ भाग का सम्बन्ध पहले के वर्षों में दी गयी मंजूरी से हो सकता है ।

(घ) जैसा कि सभा को मालूम है सरकार ने इस सन्दर्भ में निवेश सम्बन्धी काम को बढ़ावा देने के लिए 1963 के अन्त से कोई उपाय किये हैं, जिन में से अभी हाल में किया गया उपाय, नयी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने वालों को कर जमा-पत्र देकर प्रोत्साहन देने की योजना है ।

Mahalanobis Committee Report

156. **Shri K. C. Pant:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 312 on the 21st November, 1964 and state:

(a) whether the Mahalanobis Committee on distribution of National Income has since submitted Part II of the Report;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) No Sir. (b) and (c) Do not arise.

परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति

*157. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री गो० महन्ती :
श्री हेम राज :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलश्वर मीना :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री रा० स० तिवारी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन तैयारी का काम काफी प्रगति कर चुका है । और निकट भविष्य में उसके प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां ।

बिजली की कमी

*158. डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कई राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विस्तृत रूप से विद्युतिकरण करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए विद्युत के लक्ष्यों में भारी परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश में बिजली के संभरण की स्थिति पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है और परियोजना की क्रियान्विति की प्रगति पर नियमित रूप से ध्यान दिया जा रहा है । राज्यों को समय समय पर उत्पन्न होने वाले गतिरोध और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता दी जा रही है ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास

श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

*159. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
महाराज कुमार विजय ग्रानन्द :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री राधे लाल ब्यास :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रौद्योगिक संस्थापनों के ग्रधिकार में रिक्त भू-खंडों के परिमाण का पता लगाने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या यह समिति ग्रौद्योगिक कर्मचारियों के ग्रावास के लिए भूमि-ग्रर्जन की प्रक्रिया के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ; ग्रौर

(ग) इसके प्रतिवेदन देने की कब तक ग्राशा है ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) (क) ग्रौर (ख) ग्रौद्योगिक कर्मचारियों ग्रादि की ग्रावास योजना के लिए भूमि के ग्रधिग्रहण की कार्यवाही को तेज़ करने के लिए किन साधनो को ग्रपनाया जाना चाहिए इसकी जांच के लिज योजना ग्रायोग के सदस्य प्राफेसर एम० एस० थाकर की ग्रध्यक्षता में चार ग्रावास मंत्रियों की एक समिति नियुक्त कर दी गयी है । उद्योगपतियों के पास फालतू पड़ी भूमि के ग्रर्जन के ग्रौचित्य पर भी यह समिति विचार करेगी ।

(ग) उम्मीद है कि समिति ग्रपनी रिपोर्ट कुछ एक महीने में प्रस्तुत कर देगी ।

चौथी योजना

*160. श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ला० द्विवदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमश्विन :
श्री विभूति मिश्र :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री किशन पटनायक :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूप में प्रस्तावित क्षेत्रीय आवंटन के बारे में योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच भारी मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मतभेद क्या है ; और

(ग) उनको किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सामान्यतया राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, चौथी योजना के आकार और उद्देश्यों के बारे में योजना आयोग के प्रस्तावों का अनुमोदन किया। चौथी योजना के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निरूपण तथा साधनों से सम्बंधित नीति विषयक प्रश्नों पर सलाह देने के लिए परिषद् ने पांच समितियों का गठन किया। चौथी योजना के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत कार्यक्रम मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

गैर-योजना व्यय

*161. श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या वित्त मंत्री 24 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 679 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के आय व्ययक में 70 करोड़ रुपये की जो कटौती करने का वचन दिया गया था उसे पूरा करने में उन्हें कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) दूसरे मामलों में परिव्यय में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण मितव्ययता पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) बजट में 70 करोड़ रुपये की बचत करने के लिये 1964–65 में किए गए प्रयत्न सफल हुए हैं ।

(ख) यह जानकारी 27 फरवरी, 1965 को संसद में पेश किए जाने वाले संशोधित अनुमानों से उपलब्ध होगी ।

समवायों द्वारा आयकर

*162. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या वित्त मंत्री 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 लाख रुपये और उस से अधिक आय वाले व्यक्तियों तथा 10 लाख रुपये और उससे

अधिक आय वाली फर्मों के नामों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन का ब्यौरा प्रकाशित करने के लिये कोई तारीख निर्धारित की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) बम्बई नगर को छोड़ कर सभी आयुक्तों के क्षेत्रों से जानकारी एकत्र कर ली गई है ।

(ख) आशा है कि सरकार अप्रैल, 1965 के अन्त तक इस जानकारी को प्रकाशित कर देगी ।

औषधि अधिनियम

*163. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम और हानिकारक औषधि अधिनियम, 1930 को प्रवर्तित करने का कार्य राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम और हानिकारक औषधि अधिनियम को प्रवर्तित करने के कार्य को राज्यों के औषध नियंत्रण विभागों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति बनायी है ।

(ख) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट देनी है जो सम्भवतया मार्च 1965 के मध्य तक उपलब्ध हो जायेगी ।

बारूद बनाना

164. **श्री हेमराज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बारूद तैयार किये जाने तथा बनाये जाने के लिए आयुध अधिनियम या भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अच्छी किस्म के लिए कोई विशेषतायें निर्धारित की गई हैं और उनका स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति प्रयोगकर्ताओं को घटिया किस्म की और दोषयुक्त बारूद दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सुरक्षा की दृष्टि से बारूद बनाने वाले भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत बने बिस्फोटक नियमावली, 1940 से नियंत्रित होते हैं ।

(ख) जी नहीं । विनियमों का उद्देश्य निर्माता, गोदाम, परिवहन आदि को केवल इस प्रकार नियंत्रित करना है कि लोक सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचाव का आश्वासन हो जाये ।

(ग) बिस्फोटक विभाग का बारूद की किस्म से सम्बन्ध नहीं है ।

(घ) सवाल ही नहीं उठता :

काले धन की सूचना देने वाले

*165. **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने काले धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन पर कुछ सूचना देने वालों को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जनता से कितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन सूचना देने वालों को कमीशन के रूप में अब तक कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में सलल परियोजना

*166. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से काश्मीर की सलल जल विद्युत् परियोजना को अपने हाथ में ले लेने के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). सलल पन-बिजली परियोजना का अनुसंधान कार्य जम्मू तथा कश्मीर सरकार के केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सहयोग से किया था। जम्मू तथा कश्मीर के प्रधान मंत्री ने 1962 में भारत सरकार को प्रार्थना करते हुए लिखा था कि केन्द्रीय सरकार को सलल परियोजना का विस्तृत अनुसंधान और कार्यान्विन कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अत्युतम उपयोग समूचे भारत के विकास के लिए किया जा सके। भारत सरकार के सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने अनुसंधान कार्य करना मान लिया और इस मंत्रालय ने जम्मू तथा कश्मीर सरकार से प्रार्थना की कि वे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को कार्य की उन मदों का ब्योरा दें जो कि हो चुकी हैं और इस के सम्बन्ध में हुआ व्यय भी सूचित करें। इसके पश्चात् 1963 में जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने पंजाब सरकार से सलाह करके निश्चिय किया था कि वे स्वयं ही पंजाब सरकार के सहयोग से इस स्कीम का अनुसंधान करेंगे। भारत सरकार द्वारा परियोजना का कार्यान्विन अपने हाथ में लेने का प्रश्न इस अवस्था में असामयिक है।

क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिड

*168. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिडों के विकास के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को जोड़ बिजली के संभरण की राष्ट्रव्यापी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा है।
(पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3855/65)।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में एक अखिल भारतीय ग्रिड स्थापित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

पूर्व-निर्मित मकान

*169. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइक :

2602(Ai)LS—3.

श्री राधेलाल व्यास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण, और आवास मंत्री** पूर्व-निर्मित मकानों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी 3 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफैसर एम. एल. थैकर की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) तकनीकी समिति दिल्ली में पूर्व निर्मित आवास संयंत्र स्थापित करने के बारे में अपना प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 1964 को पेश किया था। समिति के प्रतिवेदन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3856/65।]

कर की बकाया राशि

333. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1964 को मैसूर सर्किल में आय-कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) तम्बाकू भाण्डागारों और तम्बाकू उत्पादक शोधकों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) क्या बकाया राशि वसूल करने के लिये इन सम्बन्धित विभागों में विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

मैसूर आय-कर शुल्क	3.13 करोड़ रुपये (क्रियाकारी बकाया)
मैसूर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलेक्टोरेट :	27.18 लाख रुपये ।

(ख) 11.55 लाख रुपये ।

(ग) आयकर की बकाया रकम की वसूली के लिए विशेष कार्यचारी रखे जाते हैं। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की बकाया रकम की वसूली के लिए कोई पृथक् कर्मचारी नहीं रखे जाते। तथापि, उपलब्ध कर्मचारियों, छुट्टी के लिए रखे गये कर्मचारियों और निरोधात्मक गुप्तचर्या बल के जरिये समय समय पर दस्ते बनाये जाते हैं जिससे जहां बकाया रकम अधिक है, वहां उसे तेजी से वसूल किया जा सके।

राजस्थान में निम्न तथा माध्यम आय वर्ग वालों के लिए आवास योजनायें

334. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए आवास योजनाओं के लिये 1963–64 और 1964–65 में राजस्थान सरकार को कितनी धन-राशि दी गई; और

(ख) राजस्थान सरकार ने उस में से कितना धन व्यय किया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

योजना	1963–64 आवंटित धनराशि	1963–64 खर्च की गयी धनराशि	1964–65 आवंटित धनराशि	1964–65 दिसम्बर, 1964 तक खर्च की गई धनराशि
	(आंकड़े लाख रुपयों में)			
निम्न आय-वर्ग आवास योजना				
(1) योजना निधि	10·00	10·15	8·00	2·74
(2) जीवन बीमा निगम की निधि	6·00	5·87	13·83	4·41
मध्यम आय-वर्ग आवास योजना				
जीवन बीमा निगम की निधि	23·48	23·08	30·40	14·78

मकान बनाने के लिए ऋण

335. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिये ऋण लेने के लिये पिछले छः महीनों में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(ख) सरकार ने कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये हैं; और

(ग) इस अवधि में राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 4.

(ख). 1

(ग) 10,800 रुपये।

जीवन बीमा निगम का मकान बनाने के लिए ऋण

336. **श्री वैं० तैंवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बीमा धारियों को भी जीवन बीमा निगम की अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना है लेकिन निम्न आय-वर्ग के लिए कोई पृथक योजना नहीं है। "अपना घर बनाओ" योजना 89 कस्बों और शहरों में लागू की गई है लेकिन इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जीवन बीमा निगम ने राज्य सरकारों को उनकी मध्य आय-वर्ग निम्न आय-वर्ग और अन्य बचत आवास योजनाओं के लिए ऋण दिया है ।

(ख) जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ " योजना की मुख्य बात पालिसी होल्डरों को कम से कम 10,000 रुपये और अधिक से अधिक एक लाख रुपया ऋण देना है जो मकान की निर्माण लागत में पहले 10,000 रुपयों के लिये, 85 प्रतिशत, अगले 10,000 रुपयों के लिए 80 प्रतिशत, अगले 30,000 रुपयों के लिए 75 प्रतिशत और बाकी के लिए 70 प्रतिशत तक दिया जाएगा ।

पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार

337. **श्री वैं० तैंवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार रोकने के लिए स्टीम लांच से सुसज्जित कितनी गश्ती टुकड़ियां तैनात हैं ;

(ख) क्या पकड़े गये माल का ठीक प्रकार से हिसाब रखने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) जयदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पकड़े गये माल का निपटारा किस प्रकार किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार रोकने के लिए स्टीम लांच से सुसज्जित कोई गश्ती टुकड़ियां तैनात नहीं हैं; बल्कि पूर्वी तट पर दो यंत्रीकृत जहाज गश्त लगाते हैं। इसके अतिरिक्त

पूर्वी तट पर भेद्य स्थानों से कई टुकड़ियां गश्त लगाती हैं जो लकड़-नावों से सुसज्जित हैं जिन में आउट-बोर्ड मोटरें लगी हुई हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) माल के पकड़े जाते ही, उनकी एक पूरी सूची बनाई जाती है और उस पर माल पकड़ने वाले या उसका पता लगाने वाले अधिकारी और पंचों और माल के स्वामी के हस्ताक्षर होते हैं। इस माल की सूची की एक प्रति माल के स्वामी को दी जाती है और माल विभागीय पदाधिकारी के पास, जो जस माल का कस्टोडियन कहा जाता है, भेज दिया जाता है । इसके बाद कस्टोडियन पकड़े गये माल की रजिस्टर में इस सूची के मुताबिक ब्योरा दर्ज करता है। इस रजिस्टर की पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा समय समर पर जांच की जाती है ।

(घ) पकड़े गये माल का निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी प्रकार निपटारा किया जाता है ;

(1) यदि न्याय अधिकारी यह फैसला करे कि माल बिना कार्रवाई किये वापस कर दिया जाए तो यह मालिक को दे दिया जाता है ।

(2) यदि माल को जब्त न करके जुर्माना देने पर वापस करने का फैसला किया जाय तो यह जुर्माना, शुल्क आदि देने पर मालिक को दे दिया जाता है ।

(3) जो माल जब्त कर लिया जाता है और जुर्माना देने पर भी वापस नहीं किया जाता उसकी सरकारी हित में सार्वजनिक रूप से नीलामीं कर दी जाती है या सहकारी स्टोरों और समितियों का सैनिक कैन्टीनों को या खुदरा बिक्री द्वारा बेच दिया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग

338. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **योजना** मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के बारे में 8 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अग्रिम परियोजनाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी; और

(ख) क्या उन के कार्य-सम्पादन को आंकने के लिये कोई मूल्यांकन दल बनाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब. रा. भगत): योजना आयोग ने गांवों में लघु उद्योग को शीघ्रता से फैलाने की एक योजना अक्तूबर–नवम्बर, 1962 बनाई थी। इसके लिए 15 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, और गोवा में 45 क्षेत्र चुने गये थे। प्रत्येक परियोजना 3—5 लाख जनसंख्या वाले 3—5 सामुदायिक विकास खंड के लिए बनाई गई है ।

छोटे तथा कुटीर उद्योगों को तेजी से फैलाने की योजना तैयार करने से पहले अधिकांश क्षेत्रों में इसलिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था कि उन क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों तथा वहां पर उद्योगों को फैलाने की संभावनाओं का अन्दाज़ा लगाया जा सके। सर्वेक्षण में 6--8 मास लगे और तत्पश्चात् उद्योगों को फैलाने की योजनायें तैयार की गई थीं तथा उन पर विचार किया गया था और उनका अनुमोदन किया गया था। कार्यक्रम को कार्यान्वित करन का काम बहुत से क्षेत्रों में वास्तव में जनवरी 1964 में प्रारम्भ किया गया।

क्योंकि यह कार्यक्रम अभी केवल एक ही वर्ष से लागू किया गया है, इस लिये इसके परिणामों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन दल स्थापित करना इतने शीघ्र उचित नहीं समझा गया।

Najafgarh Lake, Delhi

***339. Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of villages still affected by the Najafgarh lake water; and

(b) the steps taken so far to drain out the water?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The number of villages still affected by water is 30.

(b) The Najafgarh Drain is the only outlet through which the water from the villages could be drained off. Every effort is being made to widen and deepen the Najafgarh Drain and to remove obstructions. The present outflow of accmulated water at the Kakraula regulator is 250 cusecs and the works in progress will further help in draining the water. The capacity of the Najafgarh drain is being enlarged to 3,000 cusecs from Kakraula to the outfall.

Kosi Project

***340. Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that experiments on the models of the Kosi Project have been going on for the last fourteen years at the Central Water and Power Station, Khadakvasla (Poona); and

(b) if so, the up-to-date progress made in this behalf?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) Specific recommendations were made from time to time on the flood protection works, layout of the Barrage, appurtenant works and Coffer dams.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना

341. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संस्था ने बीमा कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी व्यापक योजना चालू किये जाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम के साथ चल रहे विवाद में संघ सरकार से हस्तक्षेप करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यतया यह कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम का है और सरकार इस में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है ।

ज्वारभाटीय तरंगों से विद्युत् शक्ति

342. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ज्वारभाटीय तरंगों से विद्युत् शक्ति पैदा करने का एक प्रयोग आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोग किस स्थान पर किया जा रहा है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा. कु. ल. राव) : (क) और (ख). ज्वारभाटीय तरंगों से विद्धुत् शक्ति पैदा करने का कोई परीक्षण इस देश में नहीं किया गया है । फिर भी गुजरात सरकार भावनगर ने निकट खम्भात की खाड़ी में ज्वारभाटीय तरंगों से विद्युत् शक्ति पैदा करने की सम्भावनाओं की प्रारम्भिक जांच तथा सर्वेक्षण कर रही है ।

यूनिट ट्रस्ट योजना

343. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री म. ला. द्विवदी :
श्री स. चं. सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र. चं. बरुआ :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिट ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1964 तक कितने यूनिट खरीदे गये हैं ; और

(ख) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) 31 दिसस्बर, 1964 तक यूनिट ट्रस्ट ने 18,35,36,200, रुपये के अंकित मूल्य के 1,83,53,620 यूनिट बेच चुका है ।

(ख) सरकार ने बचत को हर प्रकार से लोक प्रिय बनाने के लिये जिस में यूनिट-प्रमाणपत्र भी शामिल हैं, एक "सेविंग्स मोबिलाजेशन बोर्ड" की स्थापना की है । यूनिट

ट्रस्ट ने कार्यालय की शाखायें कलकत्ता तथा मद्रास में खोली हैं और जैसे ही स्थान मिल जायेगा दिल्ली में भी शाखा खोल दी जायेगी । यूनिटों के विक्रय की ओर इस समय जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

दिल्ली के मेहतरों के लिए मकान

344. **श्री रा. गि. दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राजधानी में गन्दगी साफ करने वालों तथा झाड़ू देने वालों के लिये बहुतल मकानों के निर्माण सम्बन्धी तीन चरण वाली योजना को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ? और इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). दिल्ली में मेहतरों के लिए मकान बनाने के बारे में एक टिप्पणी साथ लगाई जा रही है जिसमें इस कार्यक्रम की मुख्य बातें दी हुई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3857/65]** ।

नगरों का दर्जा बढ़ाना

345. **श्री स. मो. बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
डा. मा. श्री. अणे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नगरों का दर्जा बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास में पानी का संभरण

346. **श्री रामनाथन चेट्टियार :**
डा. श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि मद्रास नगर को पीने के पानी के पर्याप्त

संभरण करने के लिये बंकिघम नहर को चौड़ा करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा. सुशीला नायर) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जब मिल जायेगी तो सभा-पटल पर रखो दी जायेगी ।

छापों द्वारा करों की वसूली

347. श्री रामनाथन चेट्टियार: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मुख्य नगरों में आय-कर विभाग द्वारा मारे गये छापों के परिणामस्वरूप, 15 जनवरी, 1965 तक आय-कर, धन-कर तथा संपदा शुल्क की कुल कितनी राशि वसूल हुई ; और

(ख) 15 जनवरी, 1965 तक स्वेच्छा से घोषित किये गये ऐसे करों की राशि क्या है और इनके परिणामस्वरूप कर की कितनी राशि वसूल हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) 25.8 लाख रुपये । यह आंकड़े अस्थाई हैं ।

(ख) क्रमशः 33.7 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये । यह आंकड़े अस्थाई हैं ।

राज सम्पत्ति निदेशालय में शिकायत एकक

348. { **श्री प्र. चं. बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सम्पत्ति निदेशालय, नई दिल्ली में एक शिकायत एकक खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों और कार्यप्रणाली का ठीक-ठीक विवरण या है; और

(ग) जांच आरम्भ करने से पहले यह जानने के लिये कि शिकायत वास्तविक है या झूठी है क्या प्राथमिक कार्यवाही की जाती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा जनता की शिकायत लेने के लिए एक "सैल" बनाई गई है । उपनिदेशक (सतर्कता) तथा उसकी अनुपस्थिति में निदेशालय के सहायक निदेशक प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक दिन में स्वयं शिकायतें लेते हैं । शिकायत करने वालों के सामने ही उनकी शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी जांच की जाती है ।

(ग) सम्बन्धित रिकार्ड को देख कर शिकायत की एक प्रारम्भिक जांच की जाती है ताकि देखते ही यह पता लग सके कि शिकायत सच है या झूठ ।

बड़े नगरों में पानी की कमी

349. { **श्री ज. ब. सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बड़े नगरों में घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पानी की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय प्रत्येक नगर में पानी की कितनी कमी है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा. सुशीला नायर) : (क) और (ख). कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बड़े नगरों में पानी की कमी है। इस कमी के कई कारण हैं जैसे (क) जनसंख्या का बढ़ जाना, (ख) लोगों का बड़े नगरों में आ जाना, (ग) उद्योगों का बढ़ना, फैलना तथा अन्य काम आदि और (घ) वितरण का ठीक प्रबन्ध न होना।

(ग) और (घ). पानी की कमी का अन्दाजा उसके खपत तथा जनसंख्या से लगाया जाता है। पानी की सप्लाई को बढ़ाने की योजनायें विचाराधीन हैं अथवा कार्यान्वित हो रही हैं। पूरा विवरण अभी मिल नहीं रहा है। जब मिल जायेगा तो सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

खेसरी दाल खाने से पक्षाघात

350. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र. रं. चक्रवर्ती :
श्री प्र. चं. बरुआ :
श्री दे. द. पुरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क. ना. तिवारी :
श्री प्र. के. देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र. कु. घोष :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 'लेथिरेस सेटिवस' नामक दाल के, जो खसरी या टिकड़ा दाल के नाम से प्रसिद्ध है, अधिक मात्रा में खाने से अधरंग रोग हो जाता है, जो पक्षाघात का ही एक रूप है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा. सुशीला नायर) : (क) जी हां। रीवां क्षेत्र दल में महामारी-विज्ञान सम्बन्धी किये गये परीक्षणों से पता लगा है "लेथिरेज्म" (निचले भागों का लकवा) 4 से 5 प्रति शत है और इस रोग का हमेशा कारण खेती करने वाले व्यक्तियों की बहुसंख्या का "लेथिरेस सेटिवस" खाये जाने से सम्बन्धित है। बहुत से क्षेत्र खुराक सम्बन्धी सर्वेक्षण जो कि स्थानिक क्षेत्रों में किये गये थे, से पता लगा है कि लकवा की बीमारी का सम्बन्ध जनता के दाल खाने की मात्रा से है।

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ने सारे राज्यों से कहा है कि वह किसानों को बता दे कि "खेसरी दाल" (लेथि रेस सेटिवस) की पैदावार न करें। यह कार्य वे अपने सामुदायिक विकास और राज्यों के कृषि विभागों की सहायता से करें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निर्णय किया है कि एक अनुसन्धान केन्द्र फसलों के परीक्षणों के लिए खोला जाये जिसका काम पशुओं के लिए चारे के स्थान पर चारे की कोई और फसल उगाने के लिए किसानों को बताये। यह काम राज्य की कृषि अनुसन्धान संस्था के सहयोग से जबलपुर में करने का निर्णय किया है।

गन्दी बस्तियों को हटाना

351. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक ऐसी योजना की ओर दिलाया गया है जिससे देश में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए भारत में बोर्ड प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से पहले फोर्ड प्रतिष्ठान ने सरकार की अनुमति मांगी थी; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्वीकृत धनादेश के सम्बन्ध में जांच

352. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री कलकत्ता में एक व्यक्ति द्वारा दिये गये एक लाख रुपयों से अधिक के अस्वीकृत धनादेश के मामले में आयकर अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बारे में 17 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय को छिपाने के लिए दण्ड सम्बन्धी कार्रवाई पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो अनावश्यक देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी): (क) दिनांक 4 जून, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर में जिस व्यक्ति का उल्लेख है उसको मुकदमें की पुनः

सुनवाई में मुक्त कर दिया गया है इसलिये ऊपर दिये हुए निर्धारण के आधार पर दिया गया दण्ड अब उसको नहीं दिया जायेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोने के व्यापारियों को लाइसेंस

353. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स. चं. सामन्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने के व्यापारियों तथा शोधनकर्ताओं से लाइसेंस के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों की भारी संख्या में रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अपने प्रार्थना पत्रों के साथ सरकार को कोई धनराशि भेजी है और क्या वह धनराशि वापस कर दी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री ति. त. कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). आम तौर से व्यापारियों के आवेदन पत्र रद्द नहीं किये गये हैं। जहां तक साफ करने वालों का सम्बन्ध है क्योंकि साफ होने वाले सोने की मात्रा कम हो गई है, इसलिये काफ़ी संख्या में आवेदन पत्रों को रद्द करना पड़ा ।

(ग) और (घ). आवेदन पत्र देने वालों की लाईसेंस फीस उन स्थितियों में वापिस कर दी गई है जब उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी गई ।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

354. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में कितने समय से सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ख) दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा कु. ल. राव) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के प्रश्न पर दिसम्बर, 1963 में विचार किया गया था और इस पर अन्तिम निर्णय पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों से विचार विमर्श के बाद किया जाना बाकी है। इस समय तो व्यय सम्बन्धी सुझाव विचाराधीन है। इन सुझावों के अन्तिम निर्णय तथा उनको कार्यान्वित करने में अभी एक वर्ष और लगने की सम्भावना है।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

355. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० ब० पाटिल :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हे० बी० कौजलगी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कृष्णा-गोदावरी जल विवाद को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):(क).जी हां। एक बैठक 15 जनवरी 1965 को हुई थी ।

(ख) इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर इस बैठक में बातचीत हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर और आगे बात करने से पूर्व और जानकारी ली जाये ।

शहरी सामुदायिक विकास खंड

356. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उइके :
श्री हेम राज :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 3 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में परीक्षण के रूप में 40 शहरी सामुदायिक विकास खंड आरम्भ करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). 1965-66 में 20 परीक्षण परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है । जिन शहरों अथवा क्षेत्रों में यह परियोजनायें शुरू करनी हैं उन्हें छांटने के बारे में राज्य सरकारों से कह दिया है । यह भी सुझाव दिया है कि स्वयं-सेवकों को इस काम पर लगाया जाये जिनमें विशेषतया विभिन्न वर्गों के सेवानिवृत्त व्यक्ति मात्र हों ।

प्रत्येक परियोजना पर सम्भावित व्यय लगभग 47,800 रुपया होगा और यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत व्यय अपने ऊपर ले लेगी और शेष 50 प्रतिशत को राज्य सरकार अथवा निगम वहन करेगा ।

दिल्ली में निर्माण लागत

357. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उइक :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि के मूल्य के अतिरिक्त प्रति वर्ग फुट निर्माण की लागत क्या है ; और

(ख) पूर्वनिर्मित प्रणाली द्वारा प्रति वर्ग फुट निर्माण की लागत क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख)

बहु मंजिली इमारती ढांचा	20.80 रुपये प्लिन्थ एरिया प्रति वर्ग फुट
तीन मंजिलों तक के लोड बेयरिंग ढांचे का	19.05 रुपये प्लिन्थ एरिया प्रति वर्ग फुट
पूर्वनिर्मित ढांचा	16.52 रुपये प्लिन्थ एरिया प्रति वर्ग फुट

इन आंकड़ों में बिजली, सफाई और पानी आदि का व्यय भी शामिल है परन्तु इसमें भूमि का व्यय अथवा उसके विकास का व्यय शामिल नहीं है । इसमें लिफटों को लगाने, शीतोष्ण नियंत्रण वास्तु-कला अथवा सजाने आदि का व्यय इसमें शामिल नहीं है ।

Land with Irrigational Facilities

358. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the percentage of land provided with irrigational facilities out of the total cultivable land in each State on the 1st January, 1965;

(b) the rates for the irrigation levy in each State; and

(c) the names of the irrigation projects in various States which are still being executed with the assistance or under the supervision of the Centre?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The percentage of land provided with irrigation facilities by major and medium projects, as on 31st March 1964, to the total cultivable land in each State is given in the statement attached (Statement I). (Placed in the Library, See No. LT-3858/65).

Data in regard to the area irrigated up to 1st January, 1965 are not available.

(b) A statement showing the water rates and compulsory water cess, if any, in different States is enclosed (Statement II).)Placed in the Library, *See* No. LT-3858/65).

(c) The Government of India provides cent percent loan assistance to the following irrigation projects:—

(1) Beas

(2) Bhakra

(3) Chambal

(4) D.V.C. Projects

(5) Kosi

(6) Nagarjunasagar

(7) Rajasthan Canal

(8) Gandak (Bihar portion).

Apart from these, lump sum loan assistance is also given to the various States for financing their approved Miscellaneous Development Schemes, which include irrigation projects also. No irrigation project in any of the States is being supervised by the Centre.

सामान्य बीमा उद्योग के लिए आचार संहिता

359. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने, इस उद्योग के लिये हाल ही में संशोधित आचार संहिता तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो संहिता में क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) क्या संशोधित संहिता परिचालित कर दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) नवम्बर, 1964 में कार्यकारिणी समिति संहिता के पुनर्विलोकन तथा सिफारिश करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की । उपसमिति ने एक संशोधित आचार संहिता तैयार की है जिस पर कार्यकारिणी समिति ने जनवरी, 1965 में विचार किया और यह निर्णय किया कि इसे सामान्य बीमाधारियों तथा उनकी संस्थाओं के विचार जानने के लिये परिचालित किया जावे । संशोधित संहिता में और बातों के अतिरिक्त जो सुझाव हैं वे यह हैं : (1) संहिता को लागू करने के लिये जो प्रशासनिक यन्त्र-प्रणाली पहले स्थापित की गई थी उसे समाप्त किया जाये, और (2) नये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर जो प्रतिबन्ध था उसे समाप्त किया जाये ।

दिल्ली के अस्पतालों की रक्त सम्बन्धी आवश्यकतायें

36 { **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रक्त दाताओं से अच्छे किस्म के रक्त की प्राप्ति की प्रतिशतता नगण्य होने के कारण, राजधानी के सरकारी अस्पतालों की भारी मांग को पूरा करने के लिये क्या कहीं अन्यत्र से रक्त का आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नहीं ।

(ख) राजधानी में सभी अस्पतालों में रक्त बैंक हैं और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वैच्छिक और धन ले कर रक्तदाताओं से रक्त प्राप्त करते हैं । दिल्ली में एक स्वैच्छिक रक्त संचार सेवा है जो रक्तदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर रक्त प्राप्त कराने में सहायता लेती है । इंडियन रेडक्रास भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और उसने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में एक रक्त बैंक स्थापित किया है । स्वैच्छिक रक्त संचालन सेवा दिल्ली तथा इंडियन रेड क्रास जनता को स्वैच्छिक आधार पर रक्त दान करने की आवश्यकता पर और इस बात पर कि इससे रक्त दाताओं को कोई हानि नहीं होती है, शिक्षा भी देते हैं । इस की जनता पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और आशा है कि रक्त दान सामाजिक सेवा और पारस्परिक सहायता का एक साधन बन जायेगा । रोगियों के सम्बंधियों को भी रक्त दान करने के लिये प्रोत्साहित और शिक्षित किया जा रहा है जिससे उनके सम्बंधियों के लिये उपयोग में लाये गये रक्त के स्थान पर रक्त बैंक में रक्त जमा किया जा सके ।

विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन

361. { **प्रभात कार :**
इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने दिसम्बर, 1964 और जनवरी, 1965 में विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में कितने भवनों आदि की तलाशी ली ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने दिसम्बर, 1964 और जनवरी, 1965 में क्रमश: 35 और 39 तलाशियों ली हैं ।

(ख) अपराधारोपक दस्तावेज़, 33,180 रुपये की सोने की सलाखें, 1,23,195 की भारतीय मुद्रा, 184 पौण्ड और विभिन्न अन्य विदेशी मुद्रा की थोड़ी राशियां पकड़ी गयी थी ।

Smuggling of Opium

362. Shri Ram Sewak Yadav: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of cases registered for smuggling of opium during 1963-64 and the quantity seized;

(b) whether there is an increase in the smuggling of opium during the above-mentioned period as compared to 1962-63;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether some special measures are proposed to be taken to check smuggling of opium?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) 6705 cases were registered for smuggling of opium in 1963-64 involving a quantity of 6579.211 kg.

(b) 7953 cases involving a quantity of 12639.861 kg. were registered in 1962-63. As far as it can be made out from the trend of seizures, the reply is in the negative.

(c) Does not arise.

(d) The existing arrangements for checking smuggling of opium are reviewed from time to time and suitable measures are taken, wherever necessary, to further tighten those arrangements.

राज्यों को अनुदान

363. श्री समनानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को विकास के लिये पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऋण और अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई ; और

(ख) दिसम्बर, 1964 तक विभिन्न राज्यों ने ऋणों की कितनी राशि केन्द्रीय सरकार को लौटाई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टाक एक्सचेंज

364. { श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण की जांच करने तथा आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में सिफारिश करने के लिये कोई अमरीकी विशेषज्ञ बुलाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें कितना पारिश्रमिक देने का वचन दिया गया है ;

(ग) अमरीकी विशेषज्ञों को बुलाने के यदि कोई विशेष कारण हैं, तो वे क्या हैं ; और

(घ) उन्होंने अब तक यदि कोई सिफारिश की है तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार की प्रार्थना पर, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अमरीकी अभिकरणों ने भारत में स्टाक एक्सचेंजों के कार्य की जांच करने और आवश्यक सिफारिशें करने के लिये अमरीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) अन्तर्ग्रस्त समस्याओं तथा जांच करने के लिये अपेक्षित विशेषज्ञ किस प्रकार के हों इसका पता लगाने के लिये यूनाइटेड स्टेट्स सेक्यूरिटी एक्सचेंज कमीशन के दो अधिकारियों, श्री नार्मन पोज़र, तथा श्री डेविड सिल्वर, ने नवम्बर, 1964 में भारत की पन्द्रह दिनों के लिये यात्रा की है ।

भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार को विशेषज्ञों की सेवाओं के लिये कोई पारिश्रमिक देना नहीं पड़ता है ।

(ग) विश्व में अन्य किसी देश की अपेक्षा अमरीका में विनियोजन की मात्रा तथा विनियोजकों की संख्या अधिक है । अतः यह उपयुक्त समझा गया कि जानकार अमरीकी विशेषज्ञ भारत में विनियोजन वढ़ाने के लिये आवश्यक कदमों पर विचार करें ।

(घ) अमरीकी सेक्यूरिटी कमीशन के उक्त दो अधिकारियों ने हाल ही में एक प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस में उन्होंने केवल उन समस्याओं की परिभाषा दी है जिन का अध्ययन करना है और कुछ सिफारिशें भी की हैं कि यह अध्ययन कार्य कैसे किया जाये। ये अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

रूसी विद्युत जनित्र

365. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लनिनग्राड स्थित "इलैक्ट्रोसिला" फैक्ट्री से रूसी विद्युत् जनित्र खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सौदा किन शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा अपनी विद्युत् योजनाओं के लिये लेनिनग्राड में "एलैक्ट्रोसिला" फैक्ट्री से कई विद्युत् जनित्र प्राप्त किए जा रहे हैं ;

(ख) भारत में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिये सभी संयंत्र और उपकरण या तो भारत-रूस व्यापार करार प्रबन्धों के अथवा सोवियत रूस प्रत्यप सम्बन्धी प्रबन्धों के अन्तर्गत मंगाये जा रहे हैं।

दुर्गापुर में कांग्रेस दल का अधिवेशन

366. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल वरवा :
श्री मधु लिमय :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांग्रेस दल के दुर्गापुर में हाल में हुए अधिवेशन के संबंध में व्यवस्था करने और सुविधाओं आदि देने पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने अलग-अलग कितना व्यय किया ; और

(ख) इस संबंध में प्रत्येक मंत्री ने कितना यात्रा व अन्य भत्ता लिया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जब मिल जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ठेकेदारों का काली सूची में रखा जाना

367. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ ठेकेदारों को कदाचार करने के कारण काली सूची में रख दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काली सूची में रखे गये ऐसे सभी ठेकेदारों के नाम तथा पत्ते क्या क्या हैं और उन में से प्रत्येक को किस कारण या कारणों से इस प्रकार दण्डित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा ।

औद्योगिक आवास

368. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किराया खरीद प्रणाली की औद्योगिक आवास योजनाओं में लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका तात्पर्य क्या है ; और

(ग) इस योजना को लागू करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना में औद्योगिक श्रमिकों को किराया खरीद के आधार पर मकान बेचने के लिये पहले ही व्यवस्था है ।

अस्पतालों के संबंध में समिति

369. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 236 के 17 सितम्बर, 1964 को दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में अस्पतालों के कार्यकरण का सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति गठित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्देशपद क्या हैं; और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

रामागुण्डम बिजलीघर

370. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्य **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मैसर्स जयन्ती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम बिजली घर का और विस्तार करने के लिये इस बीच करार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) संयंत्र की वर्तमान क्षमता को 37·5 मेगावाट से बढ़ाकर 62·5 मेगावाट करने पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और डा० धर्म तेज के बीच समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) 62.5 मेगावाट का सेट, विद्यमान 37·5 मेगावाट के सेट के अतिरिक्त है । 62.5 मेगावाट के सेट पर 58·85 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ।

Requisitioning of Private Buildings

371. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the total number of buildings in Delhi requisitioned by Government for their use in 1940, 1941 and 1942 during the Second World War, their locations and the names of their owners;

(b) the number of buildings which have since been derequisitioned, their locations and the names of their owners;

(c) the particulars of those buildings which have not so far been derequisitioned; and

(d) the reasons for not derequisitioning them when the owners of those buildings require them for their own residence?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). 165 buildings were requisitioned during 1940 to 1942, out of which 158 have since been derequisitioned. Their particulars and the reasons for not so far derequisitioning the 7 buildings have been indicated in the attached statement. [Placed in Library, *See* LT No. 3859/65]

Palana Colliery

372. { **Shri P. L. Barupal:** **Shri Surya Prasad:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress so far made for installing a power plant in Palana colliery in Rajasthan for utilising the lignite?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): The Government of Rajasthan is understood to have under consideration a proposal to set up a 100 MW Thermal Power Station at Palana which will run on Palana Lignite. They have not so far submitted any concrete proposals in this regard to the Government of India.

Smuggling on East Pakistan Border

373. { **Shri P. L. Barupal:** **Shri Surya Prasad:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain anti-national elements are active near East Pakistan border; and

(b) if so, the steps taken so far by Government to speedily check smuggling and the activities of Pakistani traders and others in the border area?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). Although certain anti-national elements like smugglers do exist on the East Pakistan border there has not been any noticeable increase in their activities recently. However, customs officers in border areas are alert and are keeping strict vigilance.

चोरी छिपे लाये गये गांजे का पकड़ा जाना

374. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में चोरी छिपे राजस्थान से लाया गया एक लाख रुपये के मूल्य का 10 मन गांजा 30 जनवरी, 1965 को पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के वर्षों में ही बहुत अधिक मात्रा में पकड़े गये माल की घटनाओं में से यह एक घटना है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) महाराष्ट्र राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी और मद्य निषेध गुप्त वार्ता पुलिस ने बम्बई में 29 जनवरी, 1965 को 94,000/– रुपये के मूल्य का 367.66 किलोग्राम गांजा एक ट्रक में पकड़ा था।

(ख) जी; हां ।

(ग) तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उन में से एक को दोषी पाया गया और उस को 1,000।– रुपये के दण्ड के साथ एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई है जब कि अन्य दो को रिहा कर दिया गया है ।

धुवरन बिजलीघर

375. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में धुवरन बिजली घर की वर्तमान क्षमता को दुगुनी करने के लिये व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्कीम के 1968–69 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

आयुर्वेदिक बोर्ड

376. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में केन्द्रीय शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है।

(ख) 1964–65 में बोर्ड को 25,600/– रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

377. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 के दौरान पुनर्वास वित्त प्रशासन ने इस से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की गारन्टी देने वालों के विरुद्ध कितने मामलों में कार्यवाही की है ; और

(ख) उक्त अवधि में गारन्टी देने वालों से कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) गारंटी देने वालों के विरुद्ध कोई मामला विधि न्यायालय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, परन्तु मुख्य ऋण लेने वालों के साथ गारंटी देने वालों के विरुद्ध भू-राजस्व बकायाके रूप में ऋणों की वसूली के 880 मामले समाहर्ताओं को निर्दिष्ट किये गये हैं।

(ख) अपर्याप्त समय, श्रम और जानकारी इकट्ठी करने में होने वाली कठिनाई के कारण गारंटी देने वालों से की गई वसूली का अलग लेखा नहीं रखा जाता है ।

उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत क्षमता

378. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1965–66 में राज्य की सिंचाई और विद्युत क्षमता का विकास करने के लिये संघ सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन क्लिनिक

379. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय उड़ीसा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने परिवार नियोजन क्लिनिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) 1965–66 में उस राज्य में कितने क्लिनिक खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ग्रामीण क्षेत्र : 71

(ख) शहरी क्षेत्र 52 ।

(ख) 1965–66 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 165 और 36 क्लिनिक खोलने का विचार है ।

चेकोस्लोवाकिया से औद्योगिक दल

380. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी विषय,

के बारे में बातचीत करने के लिये हाल ही में चेकोस्लोवाकिया से वहां के भारी उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक औद्योगिक दल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) जी, हां ।

(ख) चर्चा एक सामान्य प्रकार की थी ।

सरकारी कर्मचारियों को आवास नियतन

381. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज सम्पत्ति निदेशालय ने कुछ वेतन क्रमों के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास देने के लिये 1963–64 में आवेदन-पत्र मांगे थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन आवेदन-पत्रों के आधार पर अब तक कितने सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): नहीं । आवास नियतन के प्रार्थनापत्र सभी सरकारी कर्मचारियों से मांगे गये थे ।

(ख) ऐसे प्रार्थनापत्रों के आधार पर 5,604 निवास स्थानों का नियतन किया गया था ।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

382. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम की धारा 44 और नियम 26 के अन्तर्गत अपेक्षित आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या धान की भूमि और बागों की भूमि के लिए अनुमानित उपज सब प्रकार की भूमि में एक सी रही है ;

(ग) राजस्व के रिकार्ड के अनुसार विभिन्न प्रकार की धान की भूमि में प्रति एकड़ कितना धान होने का अनुमान था और केरल भूमि सुधार नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों की तुलना में यह कम है या अधिक ; और

(घ) क्या विभिन्न प्रकार की जलाधिक्य भूमि संबंधी आंकड़े प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क), (ख), (ग) और (घ) : केरल सरकार से सूचना भजने के लिये निवेदन किया गया है । जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

योजना आयोग में नये विभाग

383. श्री रा० बरुआ : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में नये विषयों को निबटाने के लिये नये विभाग बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) योजना आयोग में "निर्माण मितव्ययिता प्रभाग" स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है । इस प्रभाग का सम्बन्ध मकानों, सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, द्रविक रचनाओं इत्यादि सब निर्माण सम्बन्धी कार्य कलापों से होगा । परन्तु फिलहाल यह मकानों, सड़कों और पुलों के निर्माण तक सीमित रहेगा । प्रस्तावित प्रभाग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

(1) लागत घटाने के बाबत विभिन्न संगठनों द्वारा की गई सिफारिशों या सुझावों की जांच कर उन्हें कार्यरूप में परिणत करना और लागत कम करने के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए जिन मुद्दों पर आगे विस्तृत कार्रवाई करने की आवश्यकता है उनको निर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षित प्रारम्भिक कार्रवाई करना ;

(2) काम करने के लिए कार्यक्रम बनाना, जिसम अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित विषय भी शामिल होंगे :—

(क) निर्माण कार्य में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से सामान, तफसीलों, मानदंडों और मानकों का अध्ययन करना तथा सूचना का प्रसार करना ;

(ख) परियोजनाओं और सार्वजनिक संस्थाओं सहित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय विभागों के निर्माण लागत सम्बन्धी समस्याओं तथा मितव्ययिता प्राप्त करने सम्बन्धी उपायों का निरन्तर पर्यवेक्षण करने के लिए वर्तमान मशीनरी का स्थान निर्धारण करना या नई मशीनरी स्थापित करना ;

(3) कार्यन्वित की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण लागत और मितव्ययिता लाने के लिए निर्माण मितव्ययिता प्रभाग और इस प्रकार के राज्य संगठनों एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों में सूचना के आदान-प्रदान की पद्धति स्थापित करना ;

(4) पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण सम्बन्धी उपकरणों के विश्लेषण की प्रणाली निर्धारित करना ;

(5) निर्माण सम्बन्धी कार्यों के कार्यक्रमों के बारे म अध्ययन करना ;

(6) लागत कम करने के उद्देश्य से निर्माण परियोजनाओं का मार्गदर्शी अध्ययन करना ;

(7) परियोजना अनुभागों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए सलाह देना ;

(8) मानदण्डों और मानकों के निर्धारण तथा उन्हें योजना कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत कराने में सहायता देना ; और

(9) मानदण्डों और मानकों के लागू करने, सामान की निपुणता तथा विभिन्न अनुसंधान संगठनों से निर्माण सम्बंधित प्रणाली एवं तकनीकी का निरूपण करने से किस सीमा तक लागत में मितव्ययिता लायी जा सकती है या कमी की जा सकती है उसका निश्चय करने के लिये मूल्यांकन एवं मूल्य निर्धारण करना ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के लाठीटीला क्षेत्र में राइफल्स द्वारा गोली चलाया जाना

Shri Yashpal Singh (Kairana): I want to draw the attention of the Minister of Defence towards the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:—

"Firing by East Pakistan Rifles in Lathitilla area of Assam".

Shri Sinhasan Singh (Gorkhpur): Point order, and that is, you have given your ruling that if the question is in Hindi then the reply will also be in Hindi.

Mr. Speaker: That is true, this should be the usual practice, But I cannot compel any body, we have an arrangement of translation.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): यदि मुझसे कहा जायगा तो में इसे हिन्दी में भी पढ़ने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय दिसम्बर, 1964 के उत्तरार्ध में पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज़ द्वारा लाठीटीला डूमाबाड़ी क्षेत्र में गोलियां चलाई गई थी। 1 जनवरी, 1965 से युद्धबन्दी की घोषणा की गई थी। दोनों ओर के क्षेत्रीय कमाण्डरों के बीच तय पाया, कि भविष्य में जब भी, गोली बारी हो, दोनों पक्षों के अफसरीय स्तर के स्थानीय कमाण्डरों को शीघ्र ही मिल बैठना चाहिए, और परस्पर, सम्बद्ध बातों पर बातचीत करनी चाहिए ।

10 फरवरी को पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज़ की, लाठीटीला क्षेत्र के सामने की, एक चौकी की ओर से गोली चलाए जाने की आवाज़ सुनाई दी थी। 13 और 16 फरवरी को भी, लाठीटीला क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज़ द्वारा, एक एक गोली चलाई गई थी। गोलियां निष्फल रहीं, और हमारी सुरक्षा सेनाओं ने उत्तर में कोई गोली नहीं चलाई ।

हमारे क्षेत्रीय कमाण्डर ने अपने समतुल्य पाकिस्तानी कमाण्डर को मिलने का यत्न किया, परन्तु उपरोक्त की ओर से कोई अनुक्रिया न हुई ।

इन गोली काण्डों के सम्बंध में विरोध-पत्र भेजे गए हैं ।

Shri Yashpal Singh: When the Government will adopt the policy of tit for tat?

Shri Y. B. Chavan: Whenever it will be needed.

श्री ग्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सब झगड़ा बेरूबाड़ी के लिए किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: इस स्थिति का कारण यह है कि कुछ क्षेत्र पर अभी निशानदेही नहीं की गयी। गत वर्ष दोनों ग्रोर के लोगों में चर्चा हुई थी, परन्तु कोई ग्रच्छे परिणाम नहीं निकल सके थे। जब भी गोली चलना शुरू होता है, दोनों ग्रोर के कमांडर मिल कर उस पर विचार करते हैं। फरवरी में यह पुनः शुरू हुई है। यदि उन्होंने फिर गोली चलाई तो हमें भी गोली में ही उत्तर देना होगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बड़े पत्तनों, गोदी श्रमिकों के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकारी संकल्प

श्रम ग्रौर रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): मैं बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी श्रमिकों को अधिक दर से मंहगाई भत्ता देने के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर दिनांक 22 फरवरी, 1965 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–21(16)/64 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3844/65]

दामोदर घाटी निगम का बजट प्राक्कलन

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1965–66 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3845/65]

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाग्रों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 27 में प्रकाशित सीमा-शुल्क मूल्य निर्धारण (संशोधन) नियम, 1964

(दो) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 28

(तीन) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 29

(चार) दिनांक 9 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 57

(पांच) दिनांक 9 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 60

(छः) दिनांक 16 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 102

(सात) दिनांक 16 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 103

(ग्राठ) दिनांक 23 जनवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 126

(नौ) दिनांक 6 फरवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 186

(दस) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 273

(ग्यारह) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 274

(बारह) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० ग्रार० 275

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०—3846/65]

(2) सीमा शुल्क ग्रधिनियम, 1962 की धारा 159 ग्रौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक ग्रधिनियम, 1944 की धारा 38 के ग्रन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्यर्हृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ ग्रौर संशोधन करने वाली दिनांक 9 जनवरी, 1965 की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 59 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3847/65]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक ग्रधिनियम, 1944 की धारा 38 के ग्रन्तर्गत दिनांक 9 जनवरी, 1965 की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 61 में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3848/65]

(4) ग्राय कर ग्रधिनियम, 1961 की धारा 296 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 5 जनवरी, 1965 का एस० ग्रो० 168 जिसमें दिनांक 31 मार्च, 1962 की ग्रधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 969 का शुद्धि पत्र दर्ज है ।

(दो) दिनांक 15 फरवरी, 1965 की ग्रधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 591 में प्रकाशित ग्राय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 ।

(तीन) दिनांक 17 फरवरी, 1965 का एस० ग्रो० 654 जिसमें दिनांक 5 जनवरी, 1965 की ग्रधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 169 का शुद्धि-पत्र दर्ज है ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—3849/65]

(5) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 58 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 272 की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०--3850/65]**

(6) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 62 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 276 की एक प्रति ।

[पस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०--3851/65]

(7) वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 62 की उप-धारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय-उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8(1) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित सूचनाओं की एक एक प्रति :--

(एक) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 277 ।

(दो) दिनांक 17 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 278 ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०--3852/65]

गोवा-दमन और दीव के विलय के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाले सूचना के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER RE: CALLING ATTENTION ON MERGER OF GOA, DIU AND DAMAN

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have sent the notice of calling attention regarding the merger of Goa, Diu and Daman, as Goa Legislative Assembly has passed the resolution demanding the merger of Goa with Maharashtra and Daman, Diu with Gujrat, other members have also signed it, but I have been told that it has not been accepted. I think it is a very important matter and should be taken under the calling attention to matter of public importance. Then I also gave the notice of short notice question that was also not kept in the list. My point of order is that until this question is include into the Question List, the list should not be published.

Mr. Speaker: There is no question of any point of order in this matter so rule has been violated. Nothing need to be done in this matter.

Shri Madhu Limaye: All right sir.

भाषा के मामले पर वक्तव्य

STATEMENT RE: *LANGUAGE ISSUE*

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिये 23 और 24 फरवरी, 1965 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में इस बात पर बहुत खेद व्यक्त किया कि किसी प्रकार की शिकायतों की ओर ध्यान

दिलाने के उद्देश्य से लोगों को हिंसा के लिये भड़काया जाए। इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला बड़ी कड़ाई से किया जाना चाहिये। इस प्रकार के कृत्य तो लोकतन्त्र की जड़ें ही काट देंगे। चाहिये यह कि सभी पक्ष बातचीत द्वारा समस्याओं का हल निकालें।

साथ ही सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक कठिनाइयों को और अधिक भ्रामक प्रचार के कारण पैदा होने वाली निराधार आशंकाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। सम्मेलन ने उन बातों की याद दिलाई जिनके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों और उनकी ओर सतर्कता के साथ बढ़ने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इस विषय में संविधान के उपबन्ध राजभाषा अधिनियम, तीन भाषाओं को शिक्षा का आधार बनाने का निर्णय और वे आश्वासन जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में दिये थे और जिन्हें राष्ट्र के नाम 11 फरवरी, 1965 को मेरे द्वारा दिये गये मेरे एक रेडियो भाषण में दुहराया गया था और जिनकी व्याख्या की गयी थी, है।

हिन्दी संघ की राज भाषा है और अंग्रेजी उसकी एक सहभाषा बनी रहेगी। इन मूल निर्णयों में फेर-बदल करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक ठोस नीति बन सकती है। विचारनीय बातें तो इन फैसलों से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यावहारिक प्रश्न हैं जिन में राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन और उक्त आश्वासनों का पूरा किया जाना है। मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत थे कि इन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न राज्यों को अखिल भारतीय सेवाओं में न्याय पूर्ण भाग प्राप्त हो। यह अनुरोध किया गया कि प्रादेशिक भाषाओं को अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये माध्यम बनाने के प्रश्न पर गौर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता के विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने जो त्रिभाषायी सूत्र बनाया था, सम्मेलन में उस सूत्र के कार्यकरण पर भी विचार किया गया। यह फैसला किया गया कि इस सूत्र पर सक्रिय रूप में अमल होना चाहिये। यह अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने तथा देश के विभिन्न भागों के लोगों में परस्पर सम्यग रूप में पत्र व्यवहार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा, विशेषत: दक्षिण की किसी भाषा और अंग्रेजी के अध्ययन को बढ़ाया जाय तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और संबंधित प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के अध्ययन को बढ़ाया जाय। उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये संघ सरकार अपेक्षित कार्यवाही करेगी।

श्री नाथ पाई : क्या मुख्य मंत्रियों की ओर से राष्ट्रीय एकता परिषद् जैसी संस्था को उभार कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का कार्य किया जायेगा, ताकि समस्त जटिल तथा नाजुक समस्याओं का सन्तोषजनक हल किया जाय। वैसे कांग्रेसी मुख्य मंत्री सब के प्रतिनिधि थोड़े ही हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेसी मुख्य मंत्री केवल कांग्रेस दल के प्रतिनिधि हैं। वे कांग्रेस दल के ही प्रतिनिनिधि हों परन्तु सारे राज्य के

प्रशासन प्रमुख तो है । मैं शीघ्र ही संसद् के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाऊंगा। हम राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक भी बुलायेंगे ।

श्री रंगा : हम यह तो चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीय ऐक्य हो परन्तु राष्ट्रीय एकता का परिषद् का ढंग हमें पसन्द नहीं है । परिषद् का कार्य दलों तक ही सीमि नहीं रहना चाहिये । सभी प्रमुख तत्वों और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए । आज जो संकट हमारे समक्ष आकर खड़ा हो गया है उसके लिए भी हमारे अपने लोग ही उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री इस बात को अपने समक्ष रखे ।

मेरे विचार में ये मुख्य मंत्री त्रिभाषा सूत्र पर एक मत हुए दिखाई देते हैं । इस में हमें क्या आपत्ति हो सकती है , परन्तु उस में भी तनिक सचेत रह कर काम करना होग । इसके कारण ही गड़बड़ हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय: मेरा निवेदन है कि यह समय सुझाव देने का नहीं , केवल स्पष्टीकरण है ।

श्री रंगा क्या उन लोगों को रिहा कर दिया जायेगा जिन्हें कि भाषा आन्दोलन में गिरफ्तार किया गया था ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : रिहाई का प्रश्न तो राज्य सरकार ही तय कर सकती है, वह इस दिशा में कार्यवाही करेगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता केन्द्र): इस मामले पर हम संसद् में भी चर्चा कर चुके हैं । हमें इस बात की आशा थी कि इस दिशा में सरकार अल्प और दीर्घकालीन ठोस पग उठायेगी । परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार का ऐसा विचार लगता नहीं । केवल इतना ही कहा गया है कि दलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई जायेगी और परामर्श किया जायेगा । परन्तु मेरा निवेदन पहले उस गर्मी को दूर किया जाना चाहिए जो कि पिछले दिनों पैदा हो गयी थी । यदि ऐसा न किया गया तो दीर्घकालीन कार्यक्रम भी सफल नहीं हो सकेगा । मेरा मंत्त यह है कि प्रधान मंत्री महोदय ने तमिलनाड और देश के अन्य भागों में जो जजबात भड़के थे उन के लिए कुछ भी नहीं किया है । इस दिशा में किसी प्रकार की न्यायिक जांच इत्यादि करवाने का कोई इरादा प्रधान मंत्री का दिखाई नहीं देता ।

प्रिय मित्र श्री नाथ पाई ने राष्ट्रीयता परिषद् का उल्लेख किया है । इस प्रका की बात दीर्घ कालीन है और प्रधान मंत्री की राय इस के पक्ष में है । परन्तु श्री रंगा ने भी ठीक ही कहा है कि इस तरह के सम्मेलन कुछ औपचारिक रूप धारण कर लेते हैं। इस में केवल राजनीतिक दलों के लोगों को ही न लाकर वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा लेखकों को आगे लाना चाहिए : देश में राष्ट्रीय एकता और संगठन हो इस के लिए आन्दोलन तो होना ही चाहिए । मुख्य मंत्रियों से तो यह आशा करनी चाहिये कि वे भाषा समस्या को सुलझाने के लिए कोई राज मर्मज्ञों वाली बात करेंगे, परन्तु प्रधान मंत्री के भाषण से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता ।

श्री बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय): मैं जानना चाहता हूं कि राज भाषा अधिनियम में क्या संशोधन करने का निर्णय हुआ है । क्या विभिन्न राज्यों को सेवाओं के लिये कोटा निर्धारित किया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में मामले का परीक्षण करना होगा। विभिन्न राज्यों को सेवाओं में कोटा निर्धारित का प्रश्न भी गम्भीरता से सोचने वाला है । सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बहरामपुर): क्या यह ठीक है कि श्री अ० कु० सेन तथा गृह-कार्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार किया गया था ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोई ऐसी बात नहीं ।

Shri Yudvir Singh (Mohendragarh): Whether this was also stated by some Chief Ministers that English should continue indefinitely.

Mr. Speaker: I cannot allow this question. Particular Chief Minister may have laid anything. I will request the members they may not raise debatable points.

श्री मनोहरन (मद्रास दक्षिण): मुझे मुख्य मंत्रियों के निर्णय के बारे में कुछ नहीं। कहना है, मुझे केवल निवेदन करना है कि अब सारा दक्षिण भारत शान्त है । परन्तु राज्य सरकार द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है । विधान सभा तथा नगर निगमों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है । क्या सारे देश में शांति स्थापित करने की दिशा में प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री. कुछ कर रहे हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मुझे इन बातों का विस्तार से पता नहीं। मामला राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना चाहिए । फिर भी मैं मुख्य मंत्री से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री मनोहरन मद्रास के मुख्य मंत्री आजकल राजधानी में ही हैं ।

डा० मा० श्री अण (नागपुर): मुख्य मंत्रियों को निर्णयों को सदन के समक्ष चर्चा का विषय बनाने का. उद्देश्य क्या है । क्या सदस्यों की सहायता से सरकार उन पर और आगे विचार करना चाहती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट पर चर्चा के समय इन प्रस्थापनाओं का उल्लेख हो सकता है । परन्तु सदस्यों का सहयोग तो हमें सदा अपेक्षित है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Whether Government are thinking to have any amendment in the Official Language Act, which actually was passed in order to give assurance to South that Hindi will not be imposed on anybody. Any decision to their effect has been taken at the Chief Ministers' Conference.

Shri Lal Bahadur Shastri: This was only consultation, the decision will be ultimately taken by the Parliament.

Shri Parkash Vir Shastri: I want to know this in clear wards.

Mr. Speaker: He has stated that decision will be taken by the Parliament.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य मंत्रियों के परामर्श से इस प्रश्न को सदा के लिये हल कर दिया था । इसलिये राजभाषा अधिनियम पास किया गया था। अब इस अधिनियम में संशोधन करना स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा । जब तक हिन्दी का विकास न हो जाय तब तक अहिन्दी क्षेत्रों में बजाय अंग्रेजी के प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We have been impressing upon the Government for a long time that in order to solve this problem permanently we should not impose Hindi on non-Hindi areas and English on Hindi States. But the Government never agreed to it. But when Shri Vinoba Bhave gave the same suggestion the Government agreed to it. But there is no mention of this suggestion in the recommendations arrived at in the Chief Ministers Conference. Three language formula has also not improved the situation. Now the question is whether the Government will reconstitute the Central Government departments on the basis of this suggestion?

Shri Lal Bahadur Shastri: We are not imposing Hindi or English. English will be used in non-Hindi states and Hindi will be used in Hindi speaking areas.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : प्रधान मंत्री भी सहमत हैं कि संसद में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे आपको पता चल गया होगा कि संसद को अपनी राय बताने का अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे इस सम्बन्ध में सूचना दी गई तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जो कार्यावलि हमें मिलती है उसमें महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में कुछ नहीं दिया होता। मेरा निवेदन है कि ऐसी चीजें कार्यावली में होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल जो कथन मंत्री महोदय देंगे और आप विनिर्णय देंगे उस के बीच की अवधि में क्या सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : कल या परसों मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस पर और चर्चा नहीं होगी । और मैं सभा से निवेदन करूंगा कि विनिर्णय सुनाने के लिये 15 मिनट का समय दिया जाये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव
MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : राष्ट्रपति का संसद को अभिभाषण बड़ी धूमधाम से दिया गया। अन्यथा वह यहां इतने सिपाहियों के साथ क्यों आते जबकि यहां केवल शब्दों से लड़ाई

2602 (AI) L.S.—5.

[श्री जी० भ० कृपलानी]

लड़ी जाती है। यदि यह श्रौपचारिक अवसर न होता तो राष्ट्रपति 8 घोड़ों द्वारा खींची गई बग्घी का प्रयोग क्यों करते जिसको 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के राजा प्रयोग किया करते थे। यह सब चीजें कुछ समय पहले ठीक थीं। और राष्ट्रपति भी अपने पद को सम्माननीय बनाने के लिये इस दिखावे को आवश्यक नहीं समझते। वह स्वयं ही इतने आदरणीय हैं कि उनका पद सम्माननीय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आचार्यजी से निवेदन है कि वह राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से इसमें न लाये।

श्री जी0 भ0 कृपलानी : मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : केवल भाषा ही नहीं परन्तु इसके प्रयोग करने की रीति पर भी आपत्ति की जा सकती है। संविधान के अनुसार आप राष्ट्रपति के आचरण की चर्चा नहीं कर सकते।

श्री जी० भ० कृपलानी : हमारे विद्वान और दार्शनिक राष्ट्रपति को इस सब दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यह गणतन्त्र और समाजवाद के अनुरूप नहीं है। श्री ही० ना० मुकर्जी चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से हमें देश की वास्तविक स्थिति का पता चलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा यह एक परम्परागत और औपचारिक अवसर है। ऐसे अवसरों पर भद्दी और बुरी बातें नहीं कही जाती। इसमें ऐसी बातें कही जाती हैं जिनकी प्रशंसा की जा सके। क्योंकि यह औपचारिक अवसर है इसलिये राष्ट्रपति वह सब नहीं कह सकते जो वह कहीं और कह सकते थे। राष्ट्रपति ने कुछ योजनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन योजनाओं की आरम्भिक अवस्था में सफल रही है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उन पर कितना व्यय हुआ है। क्योंकि यह हमारा अनुभव है कि कई बार सरकार योजना के लिये अनुमोदित सारा रुपया व्यय कर देती है परन्तु लक्ष्य पूरा नहीं होता। भूतपूर्व तेल मंत्री के समय में हमें यह बताया जाता था कि तेल कई जगहों पर पाया गया है। अब भी हमें बताया जाता है कि तेल पाया गया है, परन्तु यह कभी नहीं बताया गया कि इन कुओं में से कितना तेल निकाला गया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि कपड़े के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है परन्तु कपड़े के मूल्य पहले से अधिक हैं। राष्ट्रपति ने अनाज की समस्या का भी उल्लेख किया है। हमें 17 वर्ष से यह बताया जा रहा है कि अगले वर्ष हम अनाज में आत्म निर्भर हो जायेंगे। श्री पाटिल ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज आयात करके स्टाक बनाने का आश्वासन दिया था, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। और अब जब लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त अनाज भी नहीं है, सरकार स्टाक इक्ट्ठा करने का विचार कर रही है। अब हमें यह बताया जा रहा है कि सरकार किसानों को कुछ सुविधाएं देगी, जैसे जल और उर्वरक। तो क्या यह सच है कि यह चीजें अब तक नहीं की गई थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उचित समय पर किसानों को खाद और बीज नहीं दिये गये। और अब खाद्य मंत्री एक खाद्य निगम बनाने का विचार कर रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में किसी को कुछ नहीं पता कि सरकार अनाज के मूल्यों को किस प्रकार कम करेगी। हमें यह भी बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और मेरे विचार में पिछड़े हुए देश में यह बहुत बड़ा कार्य है।

सरकार यह भी कहती है कि अधिक उत्पादन से मुद्रा स्फीति को कम किया जा सकता है। परन्तु सरकार को यह पहले पता होना चाहिये था कि जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, अधिक रुपया बनाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार यह भी कहती है कि छिपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास

किया जा रहा है। परन्तु हमें यह नहीं पता कि उस धन का क्या हुआ जो सरकार को फ़िल्मी सितारों से मिला था, या उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। और हमें उन व्यक्तियों के नाम भी नहीं बताये जाते जिनकी सरकार तलाशियां ले रही है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ रुपया लेकर मामला समाप्त कर दिया जाता है।

अब यह कहा जाता है कि विदेशी विनिमय स्थिति बहुत शोचनीय है। परन्तु इस सब के लिये सरकार जिम्मेदार है जो विदेशी विनिमय का अपव्यय करती रही है। हम बहुत बड़ी योजनाओं पर रुपया व्यर्थ व्यय करते रहे और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हमें ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिनका शीघ्र परिणाम निकल सके।

इन सब मामलों में सरकार की नीति बहुत त्रुटिपूर्ण रही है। सरकार को ऐसे निर्बन्धन नहीं लगाने चाहिए जिनको वह लागू नहीं कर सकती। यह योजनायें न तो ठीक ढंग से बनाई गई हैं और न ही कार्यान्वित की गई हैं। यह योजना आयोग के नये उपसभापति ने भी स्वीकार किया है।

हमारी वैदेशिक नीति को एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है तटस्थता नीति। चाहे हम चीन से युद्ध कर रहे हों या हमारा पाकिस्तान से मनमुटाव हो, फिर भी हम तटस्थ हैं। तटस्थता का अर्थ है कि कोई भी ऐसा झगड़ा नहीं जो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया नहीं जा सकता। परन्तु हमारी सरकार इस शब्द के अर्थ निकाल लेती है।

सह-अस्तित्व के लिये दोनों दलों को सहमत होना चाहिये। अतः हमारा चीन अथवा पाकिस्तान से किस प्रकार सह-अस्तित्व हो सकता है। हमारा जहां तक चीन से सम्बन्ध है हमने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये थे। परन्तु इनको स्वीकार करना अर्थहीन है जब तक दूसरा दल इसको स्वीकार नहीं कर लेता। और अब चीन ने अणु बम भी तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि इससे विश्व के शांतिप्रिय देशों को धक्का पहुंचा है। क्या विश्व को तब नहीं धक्का पहुंचा था जब अमरीका, रूस अथवा फ्रांस ने अणु बम बनाया था। वास्तव में धक्का तो हमको पहुंचा है क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है। सरकार कहती है कि वह अणु बम भी नहीं बनायेगी और अपनी सीमा की रक्षा करेगी। हम अपनी सीमा की रक्षा तब कर सके जब चीन ने अणु बम नहीं बनाया था, यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह अब किस प्रकार रक्षा करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने कई भाषणों में कहा है कि जिन लोगों के पास अणु बम है वह हमारी सहायता करेंगे। इसका अर्थ यह है कि हमको औरों के अणु बम बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह हिन्दू शाकाहारी की तरह है जो दूसरों द्वारा स्वयं तो बकरी को हत्या नहीं करते परन्तु औरों द्वारा काटी गई बकरी को खाने में कोई आपत्ति नहीं। मैं यह नहीं कहता कि हमें अणु बम बनाना चाहिये। परन्तु हमें शक्ति के संतुलन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। और यदि हम इसकी ओर ध्यान देंगे तो हमें उन हथियारों पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ेगा जिन पर हमारी आय के एक बहुत बड़ा भाग व्यय हो जाता है। इसके लिये हमें किसी शक्तिशाली राष्ट्र के साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा। भाषा के प्रश्न पर मेरा विचार यह है कि सरकार को इस मामले में तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक वह लोगों की राय न जान ले। और मुझे यह प्रस्ताव भी पसन्द नहीं कि परीक्षा 15 भाषाओं में ली जाय।

डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती): मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देने के लिये श्री हेडा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृपलानी ने राष्ट्रपति के इस प्रकार आडम्बर सहित आने की आलोचना की है। मेरे विचार में इस पर अधिक व्यय भी नहीं होता। इसके साथ साथ इस अवसर पर घोड़ोंका प्रयोग किया जाता है। और यदि यहां भी घोड़ों का प्रयोग न किया गया तो शायद हमें कभी देखने को भी न मिलें।

[डा० पं० शा० देशमुख]

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

बिरोधी सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना की है क्योंकि उसमें ऐसी कई चीजें सम्मिलित नहीं की गई जिनको वह चाहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के कार्यों का लेखा होना चाहिए । मेरे बिचार मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण संतोषजनक रहा है ।

आचार्य कृपलानी चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिये कि योजनाओं में जितना रुपया व्यय हुआ है, क्या उतना लक्ष्य भी पूरा हुआ है कि नहीं । परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सब चीजों के लिये समय नहीं होता । सरकार कभी कभी सभा-पटल पर ऐसे विवरण रखती है जिनमें इस सम्बन्ध में विस्तृत व्यौरा होता है कि कितना व्यय हुआ है और कितना कार्य पूरा हुआ है । अतः यह आलोचना उचित नहीं है ।

देश की स्थिति बहुत आशंकापूर्ण है । यह स्थिति न केवल दक्षिण भारत में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई परन्तु यह स्थिति देश की अनाज समस्या, विधि और व्यवस्था स्थिति, भ्रष्टाचार, छिपे हुये धन और करों के अपवंचन के कारण हुई है ।

हमारे गृहमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह दो वर्ष में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगें मैंने सदाचार समिति या उनके अन्य उपायों के बिरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की । परन्तु दूखः की बात यह है कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हुई है । लोगों को उपदेश देकर स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । लोगों को देशभक्त और स्वार्थहीन बनने के लिये कहना उनका उपहास-पात्र बनना है ।

मेरे बिचार में भ्रष्टाचार का अन्त केवल प्रशासन में सुधार करके हो सकता है । लेकिन प्रशासन के सुधार के लिये सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है । हम और देशों के लोगों से अधिक बुरे या अच्छे नहीं है । उन देशों में भी ऐसी समस्याएं पैदा हुई होगी । परन्तु उन्होंने उपदेश नहीं दिये बल्कि अपने प्रशासन में सुधार किया । हम इतने आदेश जारी कर रहे हैं कि न्यायालयों को भी कभी पता नहीं होता कि नवीनतम आदेश क्या है । हम इतने कानून बना रहे हैं कि हम उनको कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं । अतः भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका कम से कम नियम और विनियम बनाना है । अनिवार्य बचत योजना और स्वर्ण नियंत्रण आदेश जैसी योजनायें लोगों को असन्तुष्ट कर देती हैं। यदि हमें भ्रष्टाचार को कम करना है तो अपराधियों को दण्ड देना चाहिए और ईमानदार व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल साधारणतया बेईमान लोगों को कोई दण्ड नहीं दिया जाता । हम छिपे हुए धन को निकालने के लिये छापे मार रहे हैं ; परन्तु इस धन को इकट्ठा होने से रोकने के लिये कोई उपाय नहीं कर रहे हैं । लाइसेंस और परमिट देने की व्यवस्था और करों की ऊंची दर के कारण ही यह धन इकट्ठा हुआ है । यदि हम आय-कर की दर कम कर दें और एसा कानून पास कर दें कि जिसके पास छिपा हुआ धन मिलेगा उसकी सम्पत्ति राज्यसात् कर दी जायगी तो छिपा हुआ धन एकदम बाहर निकल आयेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में उत्पादन में बहुत कमी हुई है । जबकि 1961–62 में 810.4 लाख टन उत्पादन हुआ, अगले वर्ष 784.5 लाख टन उत्पादन हुआ । अतः उत्पादन में बहुत कमी हुई है जबकि कहा यह जा रहा है कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

कहते हैं कि इस वर्ष उत्पादन अच्छा होगा । इसको आंकने के लिये हमें इस वर्ष के उत्पादन का 1961–62 के उत्पादन से मुकाबिला नहीं करना चाहिये। अपितु यह देखना चाहिये कि क्या इससे हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायगा। इस वर्ष के लिए 900 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था और हमें आशा नहीं कि 870 लाख टन का उत्पादन भी हो जायगा। 1961–62 में प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग 1951 के 13139 औंस से बढ़ कर 16.4 हो गया था, परन्तु दुर्भाग्य से गत 2–3 वर्षों में इसमें एक औंस की कमी हो गई है । इससे पता लगता है कि वास्तव में अनाज की कमी है ।

यह भी खबर है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री वस्तु समितियों को समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु कुछ ऐसी समितियां हैं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं जैसे कि भारतीय केन्द्रीय कपास समिति जो कि 34 वर्षों से चली आ रही है । इस लिये इस बारे में जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं करना चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों को खाद आदि देने का भी उल्लेख किया गया है। यह खेद की बात है कि हम किसानों को उन की जरूरत की वस्तुओं की पूरी मात्रा नहीं देते हैं। कुछ दिन पहले खाद्य तथा कृषि मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस वर्ष 2,00,000 टन अतिरिक्त नाइट्रोजन आयात किया जायेगा, मगर फिर भी हम किसानों की आवश्यकता का केवल 2–3 भाग ही दे सकेंगे।

किसानों के लिये उनकी उपज के बारे में निम्नतम मूल्य का भी जिक्र किया गया है। यह खेद की बात है कि महाराष्ट्र में इस निम्नतम मूल्य को अधिकतम मूल्य समझा जाता है और किसानों को निम्नतम मूल्य पर ही अपनी पैदावार बेचने के लिये मजबूर किया जाता है । किसान बेचारे गरीब लोग हैं। वे पढ़े लिखे नहीं हैं। वे हड़ताल की धमकी नहीं देते, इसलिये उन पर अनुचित दवाब डाला जाता है । किसान को छोड़ कर हर एक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपने माल चाहे जिस कीमत पर बेचे फिर किसान पर ही यह कानून क्यों थोपा गया है । उसे इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये कि यदि उसको अपनी पैदावार का अधिकतम मूल्य मिले तो वह बेच सकें।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यापारियों द्वारा सारा अनाज कम कीमत पर खरीद लिया जायेगा और बाद में चोर बाजारी में बेचा जायेगा ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): महाराष्ट्र में सरकार के अतिरिक्त और कोई नहीं खरीद रहा है

डा० पं० शा० देशमुख : सरकार उन कार्यों को कभी भी भली भांति नहीं कर पाई है । सरकार चाहे जो कुछ करे वह व्यापारियों पर कभी भी काबू नहीं कर सकती । व्यापारी ऊंचे दामों पर अनाज बराबर बेचते रहेंगे और किसान नुक्सान उठाते रहेंगे। हमें खुशी हुई थी कि किसान को लाभप्रद और प्रोत्साहक मूल्य मिलेंगे। परन्तु खेद की बात है कि उनके साथ इस प्रकार का सलूक किया जा रहा है । इस मूल्य को लाभप्रद अथवा प्रोत्साहक मूल्य नहीं कहा जा सकता ।

किसान की आवश्यकताओं को भी ठीक तरह से पूरा नहीं किया जाता है । बीज का वितरण असन्तोषजनक है खाद की पूरी मात्रा नहीं दी जाती है और आज भी भारत द्वारा निर्माण किया गया ऐसा ट्रेक्टर नहीं है जिसे किसान खरीद सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान देगी। और ट्रैक्टर लेने के लिये किसान को लाइसेंस लेने के लिये आज जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उनको दूर किया जायेगा।

श्री मजीठिया (तरनतारन): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उन्होंने हमारी सफलताओं और असफलताओं का अच्छा चित्र खींचा है।

[श्री मजीठिया]

दूसरे देशों के व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में भारत आते हैं यह इस बात का प्रतीक है कि वे हमारे आंन्तरिक मामलों में बड़ी रुचि रखते हैं। अपनी विदेशी नीति के कारण हमने साम्यवादी तथा अन्य लोकतन्त्रिय देशों से मित्रता की है।

हमारे दो पड़ौसी देश चीन और पाकिस्तान हमारे मित्र नहीं हैं। यद्यपि हमने उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है और उन पर भरोसा किया है, फिर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यदि हम अब भी उन पर भरोसा करते हैं तो यह एक बेवकूफी है। इसी चीज को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

यह हर्ष की बात है कि राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपनी सेना बढ़ा रहे हैं और वास्तविकता को सामने रख रहे हैं। इस संबंध में मैं एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं। वायु सेना के संबंध में हम 48 स्क्वेड्रन की योजना बना रहे हैं। यदि हम लड़ाकू स्क्वेड्रन द्वारा देश की रक्षा करना चाहते हैं तो 48 स्क्वेड्रन से काम नहीं चलेगा अपितु इससे दस गुने स्क्वेड्रन चाहियें।

लड़ाकू स्क्वेड्रन के बारे में दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ विमान फ्रांस से लाये गये हैं, कुछ इन्गलैण्ड से और कुछ रूस से। विभिन्न प्रकार के विमानों की देख रेख करना एक बड़ी भारी समस्या है और इस पर बहुत पैसा खर्च होता है। इसके अतिरिक्त शस्त्र संभार भी विभिन्न प्रकार के हैं। लड़ाई के समय यदि एक विमान के शस्त्र किसी कारण दूसरे विमान में चले जायें तो वे बेकार हैं, उनका वहां प्रयोग नहीं किया जा सकता।

मध्य पूर्व में फील्ड मार्शल रोमेल जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उनके पास दो प्रकार के टैंक थे, एक तो जर्मनी के बने हुए और दूसरे इटली के बने हुए। दोनों की तोपें अलग अलग तरह की थीं। जरूरत के समय उन्होंने देखा कि दोनों प्रकार की तोपों का बारूद आपस में पलटा गया है और इसके कारण उन्हें पराजित होना पड़ा।

हमारी वायुसेना रद्द समझे जाने वाले विमानों को खरीद रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या बुद्धिमत्ता है। उदाहरणार्थ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से डकोटा विमान खरीदे गये हैं। संकट के समय मैं हम इन विमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास रूस के कुछ ए० एन०–12 विमान हैं जो काफी अच्छे हैं।

किसी लड़ाकू स्क्वेड्रन के लिये प्रभावशाली होने के लिये यह जरूरी है कि भूमि पर इसकी रेडार परिसीमा काफी हो। मैं यह नहीं कहता कि हमारी रेडार परिसीमा नहीं है, परन्तु यह प्रभावशाली नहीं है।

जहां तक नौ-सेना का संबंध है, हमारे फ्रिजेट बहुत पुराने हैं और अब उनकी उचित देखभाल नहीं की जा सकती है। देश में उनका निर्माण बहुत दूर की बात है। इसके अतिरिक्त, हमारे पड़ोसी देश के पास पनडुब्बी भी है। हम अभी इसके बारे में केवल विचार ही कर रहे हैं। हमें इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिये और अपनी नौ-सेना को मजबूत करना चाहिये जिससे कि कोई भी देश हमारे साथ छेड़छाड़ करने का साहस न कर सके।

अब मैं खाद्य संकट को लेता हूं । हम इस समस्या का मुकाबला सही तरीके से नहीं कर रहे हैं । किसान को अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये हमें किसान को कम दरों पर उर्वरक देने का प्रबन्ध करना चाहिये, बशर्ते कि किसान पहले की अपेक्षा अधिक भूमि पर अनाज उगाये ।

उर्वरक कई किस्म के होते हैं और अलग अलग भूमि और अलग अलग फसलों के लिये अलग अलग किस्म के उर्वरकों की जरूरत होती है । इस संबंध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को एक गहन अध्ययन करना चाहिये और इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि किसान को उर्वरक समय पर मिले अथवा उसका सारा परिव्यय बेकार जायेगा । और बजाय फायदे के उसको हानि होगी ।

पानी के बिना पैदावार को बढ़ाना भी कठिन है । हमारे पास पानी काफी मात्रा में है और यदि इसका सही उपयोग किया जाय तो पैदावार काफी बढ़ सकती है । छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । खाद्य तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालयों को आपसी सहयोग से इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि उस स्थान पर पानी शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जाय जहां पर इसकी सब से अधिक आवश्यकता है ।

अन्त में करों के अपवंचन को रोकने के लिये हमें प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें । हमें करों में कुछ राहत देनी चाहिये । इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और करदाताओं को भी आराम मिलेगा ।

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम) : I am not an opponent of Hindi. But I warm the Hindi enthusiasts that their narrow communal outlook will lead to further vivisection of the country. Unless I find a change in their attitude I cannot support them.

भारत के आदिवासी और आदी-हिन्दी व्यक्ति लगभग 20 साल से इस की आशा लगाये बैठे हैं कि स्वतन्त्र भारत उनकी सदी पुरानी दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करेगा। संविधान में बहुत सी बातों का उपबन्ध किया गया है पर हमारी वे आशाएं पूरी नहीं हुईं । राजनैतिक शासकों ने उनसे बड़े-बड़े वायदे किये हैं कि उनके लिये बहुत कुछ किया जायेगा। परन्तु उनके लिये कुछ भी नहीं किया गया है और उनकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया गया है । हाल ही का झाड़खण्ड—कांग्रेस दलों का विलय एक धोखा है । आप किसी आदिवासी स्थान पर चले जायें वहां आप देखेंगे कि आदिवासियों का शोषण किया जाता है । किसी न किसी बहाने उन्हें भूमि से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाता है ।

हमें बताया जाता है कि सेवाओं में उनके लिये कुछ निश्चित स्थान रक्षित हैं । फिर उस कोटे को पूरा क्यों नहीं किया जाता है ? निश्चिय ही उम्मीदवारों की कमी नहीं हो सकती है । लगभग 20 वर्ष से छात्रवृत्तियां देने के बाद भी उम्मीदवारों की कमी कैसे हो सकती है ।

हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता के आरम्भ से ही आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । राज्यों ने देख लिया है कि आदिवासियों को उनके अपने

[श्री जयपाल सिंह]

भाग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है । एक मुंडा अथवा संथाल को बिहार में अनुसूचित आदिम जाति का माना जाता है, परन्तु यदि वह आसाम के चाय बागानों में चला जाता है तो उसको वह मान्यता नहीं दी जाती है । प्रत्येक जन-गणना में आदिवासियों की संख्या घटती हुई दिखाई जाती है ।

प्रत्येक आदिवासी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त एक और भाषा बोलता है । बंगाल में प्रत्येक संथाली बंगाली भी बोलता है । क्या अतुल्य घोष संथाली बोलते हैं ? आठवीं अनुसूची को देखिये । उसमें एक भी आदिवासी भाषा नहीं है । उसमें कम व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को रखा गया है । मेरी अपनी मातृभाषा मुंदरी को लीजिये । संस्कृत का ढांचा उस पर आधारित है । परन्तु फिर भी आप कहते हैं कि मुंदरी कोई भाषा नहीं है । इसका साहित्य कोई नहीं है । आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार ने मंदरिका विश्वकोष को रद्दी की तरह बेच दिया है । संथाल परगना में एक विशेष लिपि के स्थान पर देवनागरी को रखा गया है और उसमें वह ध्वनि पैदा नहीं होती है जिसके कारण अब गरीब संथाली आसाम, बंगाल, उड़ीसा और अन्य स्थानों के अपने साथियों को लिख नहीं सकते हैं । मैं कोई तामिल के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं । आपको महसूस करना चाहिये कि तामिल हिन्दी से काफी पुरानी भाषा है। हिन्दी को भाषा कहलाने के लिये अभी काफी विकास की आवश्यकता है ।

स्वतन्त्रता के बाद से अब तक आदिवासियों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों पर पैसा खराब किया जाता है ।

मैं हमेशा से ही एक झाड़खंड राज्य की वकालत करता रहा हूं । चाहे उसका शासन केन्द्र ही क्यों न चलाए । मैदानी लोग पहाड़ी लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते । बिहार के साथ इन्साफ नहीं हुआ है ।

मुझे कांग्रेस पार्टी के बरताव पर बहुत चिन्ता है । वे लोग अपने आप को अहिंसा के पुजारी कहते हैं परन्तु वह हिंसा के आगे झुक जाते हैं । वास्तव में वह गद्दी के कारण सब कुछ करने को तैयार हैं । जब प्रतिपक्षों में एकता नहीं, कांग्रेस पार्टी का राज चलेगा । मैंने अखिल भारतीय आदिम जातियों की भुवनेश्वर में हुई गोष्ठी में भी कहा था कि जब पूर्वी क्षेत्र के आदिम भारतीय सशस्त्र सेनाओं का साथ नहीं देंगे उस क्षेत्र को ठीक प्रकार से सुरक्षा नहीं हो सकती ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख है कि सरकार एक एकस्व (पेटेंट) विधेयक लाने का विचार कर रही है । इस बारे में मेरे माननीय मित्र श्री दाजी ने भी कहा है । मैं इस बात की आशा करता हूं कि सरकार यह विधेयक नहीं लाएगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : श्रीमान् राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी राष्ट्रीय समस्याओं का उल्लेख किया गया है । हमारे देश के सामने आज अनेकों समस्यायें हैं । जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है वह हैं कृषि, भारी तथा अन्य उद्योग, रोजगार के अधिक अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को कम करना । देश की आजादी से पहले हमारा एकमात्र ध्येय देश की स्वतंत्रता प्राप्ति था परन्तु अब हमें देश के सामने जो समस्यायें हैं उनका समाधान करना है ।

इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि हमें देश के हर एक परिवार के लिये एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना है। बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमने देश में उचित मजूरी देने की बात की है। अमरीका ने 1919 में एक सर्वेक्षण द्वारा स्तर निर्धारण किया था।

योजना आयोग ने भारत के स्थिति के बारे में एक ब्यौरा तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में अत्यन्त निर्धनता है। देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं कि जिन की प्रति-मास प्रति व्यक्ति खपत का स्तर 25 रु० से कम है। योजना आयोग के भविष्य आयोजन विभाग के अनुमान के अनुसार 1975 तक 20 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास का लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा।

अभिभाषण में कहा गया है कि औद्योगिक शांति बहुत महत्व की बात है। हमें देश के कार्मिकों के लिये न्यूनतम जीवनस्तर की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ काम की मात्रा तथा समय का भी ध्यान रखना है। हमारी स्वतन्त्रता निरर्थक है जब तक हम देश में गरीबी और भुख-मरी को खत्म नहीं करते। इस प्रश्न पर हमें विचार करना है।

जब कृषि उत्पादन को बढ़ाने की चर्चा आती है तो हम सभी यह बात मानते हैं कि अब समय बदल गया है। अब पुरानी बातें नहीं रहीं। हमें अब उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी स्थानों पर किसी न किसी को जिम्मेवार बनाना होगा। हर एक गांव में वहां के किसी एक कार्यकर्त्ता को वहां के लिये तथ्य प्राप्त करने के लिये जिम्मेवार ठहराना होगा। फिर उस स्थान पर समय समय पर एक प्रकार की जांच होनी चाहिये कि उसमें कमी कैसे रह गई।

इस बात का खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामदायिक विकास तथा सहकारिता के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यही तो माध्यम है कि जिन के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य के लिये पंचायती राज अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों में आवश्यक समन्वय अत्यन्त जरूरी चीज है। इसी से देश में अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है।

हमें ख्यालों की दुनियां में न रह कर जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना है और समस्याओं का समाधान करना है।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र नहीं वह पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार इस प्रश्न के महत्व को समझती थी और उसने इस विषय के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया था। जो लोग पाकिस्तान से निकाल दिये गये हैं उनके पुनर्वास के संबंध में हमें एक निश्चित नीति अपनानी है।

पाकिस्तान की यह नीति है कि अल्प संख्यकों को निकाला जाय। ऐसी स्थिति से पश्चिमी बंगाल पर बहुत अधिक बोझ आ गया है। बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी वहां आ रहे हैं और वह बंगाल से अन्य स्थानों को जाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी सहायता देने के लिये कई शर्तें लगा रखी हैं। उनको पूरा करना भी आवश्यक है। उसके पश्चात् ही वे लोग सरकारी सहायता के अधिकारी हो सकते हैं। एक शर्त के अनुसार उनके पास कुछ विशेष प्रकार के यात्रा पत्र (ट्रेवल डोकुमेंट्स) होने चाहियें। उत्तरी बंगाल में राजशाही के स्थान पर एक केन्द्र था जो ये यात्रा पत्र दिया करता था परन्तु अब वह बन्द कर दिया गया है। अब दिनाजपुर, खुलना तथा बारीसाल जैसे स्थानों से ढाका जाकर आवश्यक यात्रा पत्र प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। फिर आप चाहते हैं कि यह शर्तें पूरी की जायें। कुछ दिन हुए 12,000 व्यक्ति आए थे उनमें

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

से 76 प्रतिशत के पास यात्रा पत्र नहीं थे । अब उनको पुनर्वास की सुविधायें नहीं मिल सकतीं । उनकी बड़ी बुरी हालत है । इस प्रकार यदि महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो अभिभाषण में समस्याओं को केवल आंशिक रूप में प्रस्तुत किया गया है ऐसा मानना पड़ेगा ।

अतः मैं सरकार का ध्यान इन बातों की ओर दिलाता हूं और आग्रह करता हूं कि इन पर आवश्यक कार्यवाही की जाए । केवल तब ही प्रजातन्त्रीय समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ।

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूं । पहले मेरा बोलने का विचार नहीं था परन्तु जब प्रतिपक्ष वालों की ओर से बहुत से सदस्यों ने उड़ीसा राज्य के बारे बहुत कुछ कहा तो मैंने यह उचित समझा कि मैं भी कुछ कहूं ।

उड़ीसा विधान सभा के कुछ सदस्यों और संसद् के कुछ सदस्यों ने उड़ीसा कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध एक आरोपों का अभियान जारी कर रखा है । मैं इस में नहीं पड़ना चाहता परन्तु इस बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

उड़ीसा में एक सुदृढ़ सरकार नहीं थी । जून 1961 में श्री बिजू पटनायक ने एक मजबूत सरकार बनायी । प्रतिपक्ष वालों की चालें वहां की प्रगति को रोक नहीं सकीं, और कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहां मजबूत होती गई । प्रतिपक्ष वालों ने श्री बीरेन मित्रा के विरुद्ध एक याचिका चुनाव आयोग में दी परन्तु आयोग ने जांच के पश्चात् उसे रद्द कर दिया ।

'उड़ीसा एजेंट्स' नाम की फर्म श्रीमती मित्रा ने 1959 में चलाई थी और 8 अगस्त, 1963 को बन्द कर दी गई थी । जब श्री मित्रा मुख्य मंत्री बने तो वह फर्म पहले ही बन्द हो चुकी थी ।

मंत्रिमंडल की उपसमिति ने भी, जिसमें कि प्रमुख विधि नेता थे, उड़ीसा के विरुद्ध कोई विशेष बात नहीं कही । केवल यही कही है कि कुछ असावधानी से काम लिया गया है । इस के विपरीत श्री पटनायक ने राज्य की जो सेवा की उस का कोई उल्लेख नहीं किया जाता । 17 मार्च, 1960 को श्री पटनायक ने प्रधान मंत्री श्री नेहरू को 6 लाख 70 हजार रु० का एक ड्राफ्ट भेजा था परन्तु प्रधान मंत्री ने स्वयं यह वापिस कर दिया । श्री पटनायक ने फिर इस धनराशि को जनसेवा के कार्यों में लगा दिया । इससे सिद्ध होता है कि श्री पटनायक ने महान कार्य किये हैं । श्री पटनायक और श्री मित्रा ने मानहानि करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है । चूंकि अध्यक्ष महोदय इस पर अपना निर्णय देने वाले हैं, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पढ़ना चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में से उद्धरण दे रहे हैं । क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में नियमों के बारे में कुछ आता है ? हमें रिपोर्ट की बात नहीं करने दी गई नहीं तो हमारे पास तो इतनी सामग्री थी कि हम श्री पटनायक के विरुद्ध बहुत बोल सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मलिक आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बोलिये ।

श्री रामचन्द्र मलिक : प्रतिपक्ष वालों को इस बात का भय है कि वे आने वाले चुनावों में जीत नहीं पायेंगे अतः वे कांग्रेस के नेताओं के लिये कठिनाईयां खड़ी कर रहे हैं ।

श्री जयपाल सिंह ने आदिवासियों के बारे में बहुत सी बातें कही हैं । अनुसूचित जातियों के लोगों को अब भी दबाया जा रहा है । मेरे पास उड़ीसा के अनुसूचित जातियों के ऐसे लोगों का प्रतिवेदन है कि जिन को अब अपने निवास स्थान छोड़ने को कहा गया है । इन लोगों की बात पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये । अन्त में मैं प्रतिपक्ष वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगले चुनाव में वे सफल नहीं होंगे ।

श्री म० शं० आराध्य (मैसोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते एक दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं कि जिनको अभिभाषण में मुख्य रूप से लिया गया है ।

राष्ट्रपति ने कहा है कि भाषा के प्रश्न का संतोषजनक हल ढूंढ़ लिया जायगा । दक्षिण भारत में कुछ लोग हैं जो स्थिति को गम्भीर बना रहे हैं । कल सेठ गोविन्द दास ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री की आलोचना की है । राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना एक बहुत अच्छी बात है । आज उन्होंने कहा कि भाषा के प्रश्न किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जायगा ।

मद्रास में जो घटनायें हुईं वह वास्तव में ही खेदजनक है । इन दंगों में केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु अन्य लोगों ने भी भाग लिया है । विद्यार्थियों ने इसे विशष प्रयोजन के लिये आरंभ किया था परन्तु कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाद में इस खराब स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे ।

इस आन्दोलन के विरुद्ध हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया हो रही है वह मेरी समझ में नहीं आती । वास्तव में यह सभी मानते हैं कि हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है । यह इस लिये है कि यह भाषा देश की सभी अन्य भाषाओं से अधिक बोली जाती है ।

इसके अतिरिक्त संविधान में भी यही बात कही गई है । और उसी के अनुसार 1963 में सरकारी भाषा अधिनियम पारित किया गया था । परन्तु अब जब अहिन्दी भाषी राज्यों को कुछ पत्र केवल हिन्दी भाषा में ही भेजे गये तो इस का परिणाम बहुत खराब हुआ । स्वयं खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम भी हैरान रह गये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।]

Shri Thirumula Rao in the Chair.

यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य था कि सभी राज्यों में हिन्दी का अध्ययन आरंभ हो जाय । यह संविधान में माना गया है कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी । अतः यह सभी राज्यों का भी कर्त्तव्य है कि हिन्दी के प्रचार तथा प्रोत्साहन सभी संभव कार्यवाही करें ।

तीन भाषाओं का फारमूला बहुत अच्छी चीज है । इससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों को कठिनाई होगी परन्तु हिन्दी भाषी क्षेत्रों में दो भाषाओं से काम चल जायगा परन्तु यदि लोक सेवा परीक्षाओं में यह अनिवार्य कर दिया जाय कि सभी को दक्षिण भारत की एक भाषा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा तथा उनकी नियुक्ति होगी तो सारी कठिनाई दूर हो सकती है ।

इस बात में तथ्य नहीं कि हम अंग्रेजी को हमेशा के लिये चाहते हैं । हम अपने राज्य में सदैव अपनी मातृभाषा अर्थात कन्नड़ में बातचीत करते हैं और बाहर अंग्रेजी में । यह इसलिये क्योंकि हम हिन्दी नहीं जानते । हमें हिन्दी से घृणा नहीं है ।

[श्री अ० शं० आल्वा]

स्वतंत्रता के लिये जब संघर्ष चल रहा था तो भाषा के प्रश्न पर कभी झगड़ा नहीं हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह निर्णय किया गया देश की सम्पर्क भाषा हिन्दी होगी । अतः इस पर कोई झगड़े की आवश्यकता ही नहीं, हां समय अवश्य दिया जाना चाहिये कि सभी लोग इसके लिये तैयार हो जायें ।

हमारे नेता इस पर विचार कर रहे हैं । हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए । हम सभी चाहते हैं कि हिन्दी यथाशीघ्र अपना स्थान ले ले । यह अहिन्दी भाषी लोगों के हित में है कि वे हिन्दी सीखें । इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अंग्रेजी बिल्कुल त्याग देना है । हमें विदेशों से भी सम्पर्क रखना है । अतः हमें अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं को भी सीखना है ।

हमारी एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए । जिस पर कि हम गौरव कर सकें । समारोहों पर हमें राष्ट्रीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए । इससे राष्ट्र को आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त होता है । अंग्रेजी को सदा के लिए राष्ट्र भाषा नहीं माना जाना चाहिए। हमें उस सब का बहुत ही दुःख है जो कुछ कि दक्षिण में हुआ है । परन्तु वहां स्थिति यह रही है कि नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ से निकल कर गुंडों के हाथ में चला गया । विद्यार्थियों की भी अपनी कठिनाइयां थी । उन्हें केन्द्रीय सेवाओं में आने के लिए परीक्षाओं की चिन्ता थी । उनका विचार था कि हिन्दी न आने के कारण वे घाटे में रहेंगे । सभी भाषायें भी प्रयोग नहीं की जा सकतीं क्योंकि उससे प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होने की सम्भावना है । अतः मेरा अनुरोध यह है कि शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ क्षणिक बातों के लिए हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों को हाथ से नहीं खोना चाहिए ।

कुछ माननीय मित्रों ने 'कोटा' निर्धारित की बात की है । यह 'कोटा' की बात क्या है ? यह बात है तो लाटरी डाल लेनी चाहिए । लक्ष्य तो यह होता है कि हमें सब से अच्छे विद्यार्थियों को चुनना चाहिए । अतः कोटे वाली बात तो अच्छी नहीं है । मुझे विश्वास है कि सरकार राजभाषा अधिनियम का परीक्षण कर रही है और दक्षिण की भ्रांतियों को दूर करने की कोई व्यवस्था कर देगी ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी :(राजस्पेट): इस बार राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़ी धीमी स्थिति में था । उन्होंने यह कहते हुए उसे आरम्भ किया कि राष्ट्रीय आय 2 से 4 हो गयी है । हमें याद होगा कि गत वर्ष डा० लोहिया ने यह बात कही थी कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय तीन आना प्रति दिन है। हमारी सरकार इस बात को असत्य सिद्ध नहीं कर सकी । हम यह आशा करते थे कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में यह बतायेगा कि सामान्य व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गयी है । परन्तु उन्होंने यह न बता कर राष्ट्रीय आय की वृद्धि की बात की है । इसमें उन सभी लोगों की आय भी सम्मिलित है जिन्होंने काला बाजार करके धन संग्रह किया है ।

राष्ट्रपति की यह बात तो ठीक है कि बिजली का प्रसार बढ़ रहा है, परन्तु राज्य बिजली बोर्डों में दल के व्यक्तियों की ही भीड़ जमा कर दी गयी है । गांवों में बिजली का प्रयोग स्वस्थ ढंग से नहीं हो रहा । गांवों के लोगों के कर्जे के भार में भी वृद्धि हो रही है । राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । मेरे विचार में ऐसा कहना योजना आयोग की निन्दा करने के बराबर है । इससे पता चलता है कि कृषि की देश में नितान्त उपेक्षा की गयी है ।

कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। खेद की बात यह है कि हमारे योजना आयोग के सदस्य गांवों में जाकर वहां स्वयं उनकी समस्याओं को अध्ययन करने का साहस नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यह है कि इस आयोग को गांवों में ले जाया जाना चाहिए। हरएक सदस्य को मोटे वेतन के स्थान पर परिवार निर्वाह के लिए 30 एकड़ भूमि दी जानी चाहिए। इस दिशा में वास्तविकता यही है कि आयोग उद्योगों पर अधिक बल देता रहा है। खेती के मामलों की वह बुरी तरह उपेक्षा करता रहा है।

अपने समय में डा० अम्बेदकर ने यह आश्वासन दिया था कि "रैयतवाड़ी" प्रथा समाप्त नहीं की जायेगी, परन्तु यह आश्वासन कार्यान्वित नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा लाये गये बहुत से विधेयक भ्रामक तथा परस्पर विरोधी हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन विधेयकों से लोगों के चले आ रहे स्वभाव अथवा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा मद्यनिषेध जैसे कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है।

मुख्य मंत्रियों तथा मंत्रियों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में आन्दोलन हुए हैं परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हें त्यागपत्र देने के पश्चात भी केन्द्रीय सरकार में ले लिया जाता है। ब्रिटेन में ऐसी बातें नहीं हो सकती वहां कई प्रतिष्ठित मंत्रियों को जनता की मांग पर पद छोड़ना पड़ा है। परन्तु भारत में ऐसे मामले हैं जिनके बारे में उच्चतर न्यायालयों ने आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं परन्तु उन व्यक्तियों को पदासीन दल ने दोषमुक्त कर दिया है। वर्तमान प्रधान मंत्री से आशा की जाती है कि वह इस बुराई का साथ नहीं देंगे तथा प्रशासन पर से इस धब्बे को दूर करेंगे।

भाषा का सवाल सभी को चिन्तित कर रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जिम्मेदार कांग्रेसी नेता स्वीकृत राज भाषा के विपक्ष में बातें कर रहे हैं तथा हिन्दी विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। आश्चर्य होता है कि यदि कोई कठिनाइयां थीं तो उन्हें स्वर्गीय पंडित जी के सामने क्यों नहीं रखा गया, वे उन पर काबू पाने में समर्थ थे। प्रधान मंत्री जी तथा दूसरे मंत्रियों ने कुछ भाषण दिये थे जिनका दक्षिण पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा दक्षिण के लोगों में आशंकाएं उत्पन्न हुई। प्रधान मंत्री जी को उन दो मृत सब-इन्स्पेक्टरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये थी जिन्हें जला दिया गया और उन कोमल परन्तु वीर विद्यार्थियों के प्रति भी जिन पर लाठी चार्ज किया गया। जिन लोगों ने अपने भाग्य को जोखिम जला दिया उनकी बलिदान भावना सराहनीय ही कही जायेगी।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): मैं श्री हेडा के धन्यबाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सब इसके पक्ष में राय दें। समय कम होने के कारण मैं तुरन्त अपनी असली बात पर आ जाता हूं। वह बात राजभाषा की है। कहा गया है कि कि जिन लोगों को यह भय है कि हिन्दी के राजभाषा हो जाने के कारण उन्हें हानि पहुंचेगी, उन्हें प्रधान मंत्री द्वारा उल्लेख किये गये स्वर्गीय श्री नेहरू के आश्वासनों की ओर ध्यान देना चाहिए। देश की एकता के लिए यह बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा है "कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा है परन्तु अंग्रेजी सहभाषा के रूप में चलती रहेगी, जब तक कि अहिन्दी भाषी लोग इसकी जरूरत समझेंगे।" मुझे इन आश्वासनों की भाषा से झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। यह बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि अंग्रेजी तो एक दिन जायेगी ही। अतः हमें नेहरू जी के आश्वासनों का अध्ययन तथा परीक्षण इसी पृष्ठ भूमि में करना चाहिए।

कहा जा रहा है कि श्री नेहरू कि आश्वासनों का पालन किया जायेगा। मुझे एक ही बात कहनी है, वह यह है कि अंग्रेजी को हम स्थायी रूप से सहभाषा के

[डा० मा० श्री अणे]

रूप में नहीं रख सकते। यह बात नेहरू जी के आश्वासनों का एक अंग है। मेरे विचार में इस बात की उपेक्षा की गई है और इसे समझा ही नहीं गया है। हम इस देश में अन्ततोगत्वा एक ही राष्ट्रभाषा से काम ले सकते हैं। और यह भी सत्य है कि हिन्दी ही वह भाषा है जिसे राजभाषा बनाया जा सकता है। थोड़े समय तक उसका प्रयोग हो सकता है परन्तु अन्त में तो उसे हटाना ही होगा। मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए कोई काल निर्धारित कर लेना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि सरकार और लोगों को यह बात हमेशा समझनी चाहिए कि संविधान सभा ने एक मत से सभी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची तैयार की थी। अंग्रेजी को उस सूची में नहीं रखा गया था। अतः स्पष्ट है कि जो भाषा राष्ट्रभाषाओं की सूची में ही नहीं है उसे राज भाषा कैसे बनाया जा सकता है।

यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राजा जी ने संविधान बनने के पश्चात् दस वर्ष तक दक्षिण में हिन्दी के लिए अच्छा वातावरण निर्माण करने की दिशा में काफी काम किया था। उनकी इमानदारी से यह मत था कि हिन्दी को राजभाषा बनाने में ही देश की एकता है। अब वह बदल गये हैं। यह जो परिवर्तन उनकी प्रवत्ति में हुआ है, उसका कारण यह है कि वह अन्धविश्वासी लोगों से प्रायः घिरे रहते हैं। उन के लिए आज की स्थिति में अपना सन्तुलन रख पाना कुछ असम्भव सा हो रहा है। जो लोग यह कहते हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में सम्पर्क भाषा अंग्रेजी थी, वे गलत कहते हैं। तथ्य की बात यह है कि बहुत ही कम लोग अंग्रेजी बोलते थे, जनता अपनी अपनी मातृ-भाषा में ही प्रभावित होती थी। महात्मा गांधी हमेशा हिन्दी में बोलते थे और हमेशा भारतीय भाषाओं के उचित विकास पर जोर दिया करते थे। यह बात भी ठीक ही है कि भाषाई राज्यों का निर्माण गलत नीति पर आधारित था। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि जनभाषाओं को प्रोत्साहित करें। हिन्दी को ही सरकारी भाषा तथा राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्पर्क भाषा बनाया जाना चाहिये। हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय भाषायें अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भी प्रयोग हो सकें।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर): हमारा देश एक संकट काल से गुज़र रहा है। सभी वर्ग भयभीत हैं। देश में न कोई राजनैतिक नीति है न कोई कार्यक्रम है। हमारी कुल समस्या राष्ट्रीय एकता की समस्या है। यह अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि भाषा की समस्या हल करने के लिये सभी राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। भाषा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इस समय हमारी सभी प्रतिरक्षा तथा आर्थिक समस्याएं पीछे पड़ गईं हैं और भाषा की समस्या आगे आ गई है यह एक ख़तरनाक प्रवृत्ति है और यदि यह चलती रही तो देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा।

आज हमारे देश की दशा फ्रांस की दस वर्ष पूर्व की दशा से मिलती जुलती है और इसे एशिया का रोगी कहा जा सकता है। यदि हमें इस स्थिति से बचना है तो हमें अपने आर्थिक कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। हमें अपनी चौथी योजना को कार्या-

न्विति की ओर अधिक ध्यान देना होगा जिस से आर्थिक भेद-भाव दूर हो सके। खाद्य समस्या की कम महत्वपूर्ण नहीं है । इस सम्बन्ध में अधिक अन्न उगाने वाले राज्य दूसरे राज्यों के प्रति उदारता नहीं दिखाते । देश में खाद्य क्षेत्रों के कारण वितरण ठीक नहीं होता । यदि इस नीति पर पुर्नविचार नहीं कया गया तो देश में जो 80 प्र तशत भूमि जिस में धनोपार्जक फसलें होती हैं और जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये आवश्यक है वह खाद्यान्नों के उत्पादन में लगा दी जाएगी जिस से देश को बहुत हानि होगी ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए ।
Shri Khadilkar *in the Chair.*

इस लिये समय आ गया है कि जब हमें अन्न क्षेत्रों के बारे में नीति पर पुर्नविचार करना होगा । खाद्य समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या बन गई है । अब जब खाद्य स्थिति में सुधालर हो रहा है यदि अब भी अन्न क्षेत्र नहीं हटाये गये तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगे ।

"ओम्बुड्समेन" की नियुक्ति के प्रश्न की ओर भी मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं यह अवश्य चाहता हूं कि जब तक देश में भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकार नहीं बनाते तब तक विश्वास का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा । ओम्बुड्समैन एक प्रकार का उच्च कानूनी प्राधिकार है जो सभी प्रकार की समस्याएं सुलझा कर जनता में विश्वास. तथा संतुष्टि की भावना उत्पन्न कर सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*

Shri J. B. Singh (Ghosi): I do not agree to what has been stated in the President's Address because the Government is in the habit of making promises and then breaking them and whatever has been stated in the President's Address has been stated for the Government.

At page 2 of the Address the proposed measures of the Government regarding food problem have been given and we are told that Government is going to fix the prices of foodgrains. But I have to submit that unless the essential requirements of farmers such as cloth, iron etc. are made available to them at reasonable prices, the price fixation of foodgrains will not be fruitful and effective. It is my personal experience that when the market price of rice went upto Rs. 30 a maund and prices of all essential commodities were shooting up, the farmer was also not interested in selling his produce at Rs. 14 a maund, the price fixed by Government and he says that when the Government is not able to check the prices of all other essential commodities, then why the ceiling prices should be fixed foodgrains alone.

The Central Government has been accused of making and breaking promises. In the case of supplying foodgrains to U.P., the Cen-

[Shri J. B. Singh]

tre first curtailed their quota from 105 lakh tons per month to 90,000 tons and even this was never sent and in January 1964 only 64,700 tons were sent to U.P. but even this was not kept up and the result is that in U.P., especially in the rural areas, all the fair price shops are empty and food situation there is critical.

Regarding the development of eastern districts of U.P., a Commission was appointed by Government after much persuasion gave a reasonably realistic report and recommended the setting up of a Textile Mill and 2 Sugar Mills, distillaries and Paper Mill etc. If bridges are constructed at Tarighat and Dohrighat, these areas could be connected to Bihar and Nepal and we could develop these backward districts of U.P. The provision of having a bridge on Ghagra is kept in almost every Plan but it has yet to be constructed. That is why I say that it is the vascillating policies of the Government which are responsible for the backwardness of the eastern wing of U.P. The cooperative movement is also aenamic in this region. There is one handloom cooperative at Mow which has not been registered for the last 4 years but on the other hand Rs. 40,000 is being claimed as income-tax. This is how cooperative movement is getting encouragement in that region thousands of acres of land is rendered useless as a result of floods every year in the Eastern districts and thereby agricultural production suffers and thousands of tons of foodgrain are lost as a result of loss to standing crops also. I would, therefore, request the hon. Minister to go to these places and see things for himself and do something to get out of these sorry state of affairs.

Regarding language issue, I am sure Hindi will be our national language but I have also to say that there should not be any compulsion regarding its implementation. Hindi should be introduced in schools and other efforts should also be made to make it popular before Hindi is made the national language.

Shri Mohammad Tahir (Kishanganj): I support the motion of thanks to the President's Address. The Address seems to me to be devoid of any force. It should not only influence the opinion in India but in the whole of world.

No mention has been made in the Address of the refugees who have come from East Pakistan. The minorities in East Pakistan have been subjected to atrocities and murders. This is an issue on which we can wage war against Pakistan. If a mention had been made of this issue in the President's Address, the Pakistan Government would have become aware of their folly.

Even in our own country atrocities have been committed against minorities in Bihar, Orissa and Bengal. If the President had mentioned it in his Address and warned the states that if such incidents were repeated President's rule would be imposed on states, the states wouldn't have allowed such incidents, to take place. While he mentioned about the rehabilitation of victims of the storm in South, he should have said a few words about the sufferers in Bihar, Bengal and Orissa.

He has also mentioned the language issue. There are no two opinions that Hindi is the official language of India. But we must keep in mind that there are other languages too and we cannot do away with them. People speaking other languages have become suspicious that if Hindi is spread then their own regional languages will die a natural death. Moreover, no attempt has been made to spread Hindi in the last fifteen years. If a summon is issued in Hindi in Bengal, it is returned unserved as no body understands Hindi there. Along with Hindi fourteen other languages were also given the status of national language in the Constitution, Urdu is one of them. In 1958 a resolution was passed by the Congress Working Committee in which a suggestion was made to give Urdu its due place in Bihar, U.P. and Delhi, but nothing has been done about it. Then a press-note was issued urging the states to give due position to Urdu. But even that was not followed. Then late Shri Jawaharlal Nehru suggested a three-language formula. It was a good formula and had it been implemented sincerely, Hindi would have progressed a great deal. In U.P., the people thought, the first language will be English, the second Hindi and the third Urdu. But in place of Urdu, Sanskrit was given the place of third language. If you see the 1961 language census, you will find that not a single person in U.P. can speak Sanskrit.

Urdu has got a second position in U.P., but Sanskrit has been given its place. That means some people want to finish off Urdu. The State language of Kashmir is Urdu. But if you see the language census, not a single person speaks Urdu there and only six people speak Hindustani; the rest of the people speak Kashmiri. About 40 lakh Urdu-speaking people of U.P. and Bihar signed a petition demanding that Urdu be made the regional language of the States. But the President has not said a single word about it in his Address. Therefore, a suspicion can creep into the minds of the people in non-Hindi areas that if Hindi spreads in their areas, then their own languages will wither away.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य तथ्य को गलत रूप में रख रहे हैं। उर्दू स्कूल और कालेजों में पढ़ाई जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Mohammad Tahir: The Linguistic Minorities Commission has clearly stated that Urdu is no longer being taught in primary schools in U.P. We are not against Hindi. But Urdu should also be kept alive; M.L.A.s from U.P. and Bihar have submitted memoranda about it. I would request the Prime Minister not to forget Urdu when he discusses the language issue.

If you bring the three language formula in force, I submit, Hindi will spread very rapidly. You must give it legal force. If you leave it to State government's then it will not be successful. But if you bring a Bill for this purpose, you will find that Hindi will progress a lot in ten years. But I would request you not to forget Urdu along with Hindi.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): Sir, every year new problems are cropping up in India. Unless we maintain the unity of nation and form a strong national Government, we will not be able to face China.

I want to say something about the language issue. I would have been happy, if people were fighting to give due recognition to their regional languages. But I am sorry they are fighting to make English the official language of the country permanently we need our own language to keep alive our culture. English has not been included in the fourteen languages provided in the Constitution. If you want to continue it for three or four years it can be done, but it cannot be included in the list of Indian languages.

When some disturbances were there in South on 26th January about Hindi, a famous poet of Karnatak wrote to the Chief Minister of his State that by making English compulsory they were poisoning the minds of children and spoiling their lives. He further stated that English may be made the optional language but Kannad should be the medium of education and Hindi the national language. If those people, who created these disturbances, are listened to, they will think that Delhi can be made to listen through violence.

Late Shri Nehru introduced the official language Bill after consulting all the Chief Ministers. Amending this Act will mean showing no-confidence in late Shri Nehru. Government can give any assurance but amending the Constitution to make English official language for indefinite period will not be in the interest of the country.

After English was made compulsory, a circular has been issued by Mysore Government that no professor in the University should talk in Kannad or any other language but in English. Who is responsible for the failure of 60 per cent students because English has been made compulsory. The fact is that those living in cities are able to give a good education in English by admitting them in convent and English schools. As such they stand a good chance of getting the services. It is the selfish demand of these 2 per cent English knowing people. It is a well known fact that our children learn English with great difficulty, while they can learn Kannad very easily.

I suggest that after consulting the Chief Ministers you fix a date after which English will be replaced by the regional languages and Hindi will be made the official language.

Some people approached me and asked me whether they should also create disturbances to bring their demands to the notice of the Central Government as has been done by the people in South. We are not asking for any money but only license for the one lakh fifty thousand acres of land where sugar cane has been sown. We are also asking for license to set up an iron ore factory but the Central Government is not prepared to give it. They ask me when will a dam be built across Tungbhadra so that their miseries are alleviated.

Shri H. C. Soy (Singhbhum): The President has rightly stated in his Address that the food situation of the country is in a very bad state. But I do not agree with him that the situation will improve

with new crops. The fact is that prices are still higher than they were last year. While the rice was selling at Rs. 17 to 18 per maund last year, it is selling at 21 to 22 per maund even after the new crops have arrived.

I agree with the President that more attention should be paid to agriculture. In the southern part of the Bihar State there is a great shortage of food. But Bihar Government, with the approval of the Central Government have started a scheme of grow more cotton. Actually they should have started a scheme of sowing Millet and groundnut. The Central Government has taken a wrong step in giving approval to this scheme.

There is no co-ordination between the different ministries concerned with Agricultural production. For example, in Chakrapur Division there was an irrigation scheme. According to the scheme, they wanted to take the canal from one side of the railway line to the other side. But the railway authorities are not allowing them to do so. The result is that the water which could have been used for agricultural production is going waste. According to mining rules when china-clay and Iron mines have been exhausted, the whole place is levelled for agricultural production. But the Mining and Heavy Engineering Ministry is not putting pressure on the owners of the mines with the result that thousands of acres of land is lying useless which could otherwise have been used for agricultural production. I request through you to the Central Government that other ministries should not stand in the way of efforts being made to increase agricultural production. I say this particularly about Railway Ministry and Mining Ministry.

I agree with the President that with balanced development there will be increase in employment. Although big schemes like Rourkela and Damodar Valley Project have been opened in Eastern India but our people there are not getting employment. While a member from Eastern U.P. was complaining that because no industrial development is taking in that region therefore people are not getting employment.

About 1400 people were rendered homeless due to Damodar Valley Scheme who has not been rehabilitated so far. In the same way people were removed from 200 villages for Ranchi Heavy Engineering I want to ask the Government what arrangements have been made for the rehabilitation of these people. The Dhebar Commission had suggested that the expenditure for rehabilitating people, rendered homeless by these big projects, should be included in the cost of the project. I think the Planning Commission should keep this in view while preparing the fourth five year plan, otherwise these efforts for prosperity will not be in the interest of these people who have been uprooted.

For the first time a mention has been made of the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have yet to see how far we have been successful in developing their economic and social status, in 17 years, to a level where the special protetion and reservation guaranteed to these people is not necessary. If we read the Dhebar Commission report, we will find that we have been unsuccessful.

[Shri H. C. Soy].

No attention has been paid by the Government to an agitation started by the Republican Party for fulfilling the guarantee given to Scheduled Castes and Tribes in the Constitution. I would request the Government to implement all the suggestions of Dhebar Commission in the fourth five year plan. The Central Government should also include 22 tribes in Mirzapur Division in the Scheduled Tribes list for scholarships and other facilities.

Shri Rameshwaranand (Karnal): From the inception of universe till Mahabharat, only one language was spoken throughout the universe. After Mahabharat, India was no longer united and couldn't maintain its independence.

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने 19 फरवरी को एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभा में चर्चा हो रही हो तो एक या दो मंत्रिमण्डल के सदस्य सभा म उपस्थित होने चाहिए । उस समय सभा मे कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था । और अध्यक्ष महोदय इससे सहमत थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं ।

Shri Rameshwaranand: During the General Elections in 1962, 75 per cent of the population was illiterate and they have no affection for English. 50 per cent of the literate people only know their regional languages. Regional languages can only develop when we stop conducting the official work in English. The same difficulty is experienced by the students in North as the students in South in studying English. You can take the opinion of student class in the whole country. English is not the mother tongue of any state, but it is surprising that agitations are going on in its favour. When Rajaji was the President of India or when he was the Chief Minister of Madras he raised no objection to Hindi being the official language. But what has happened to him now.

We don't want to impose Hindi on anybody but why should English be imposed on 50 per cent Hindi speaking people? You have been elected on the principle of majority. When Hindi speaking people are in majority, why do you want to impose English on them. The people who are opposing Hindi are those who burn Ram and follow Ravan. They also want to separate away from India, this language issue is just a cover. The Government should not bow before those people who fought with the police and burnt public buildings. If the language formula is changed, the consequences will be very bad. A student from a village, whose parents are illiterate, is hardly able to get through in Matric, and that also in 3rd division. He can neither get admission in college nor he is able to secure a job. These people have no affection for English. It is the people occupying high posts who want English to continue. They are worried that if Hindi comes their sons may not be able to get good jobs. If the Government bowed before these people then the people from North who fought the British Government may become active now and start their destructive activities.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 26 फरवरी, 1965/फाल्गुन 7, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, February, 26, 1965/Phalguna 7, 1886 (Saka)

GMGIPND—2602 (Ai) LSD—25-6-65—600.